बिहार सरकार

सुलभ संगणक

(Ready Recknor)

प्रशाखा–22

(अनुकंपा, संविदा नियोजन एवं दैनिक पारिश्रमिक)

सामान्य प्रशासन विभाग
मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना–15
2024

बिहार सरकार

आमिर सुबहानी,
मुख्य सचिव,
बिहार

संदेश

यह जानकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के सभी प्रशाखाओं द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों तथा निष्पादित किये जाने वाले कार्यो के पारदर्शी एवं सुगम संचालन को दृष्टिपथ रखकर आगामी वर्ष-2024 हेतु सुलभ संगणक (Ready Reckoner) तैयार किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के इस नवाचार से निश्चय ही विभाग की कार्य कुशलता एवं कार्य निष्पादन की क्षमता बढ़ेगी। निष्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिए एक मानक कार्य योजना निर्धारित कर दिये जाने से न केवल पारदर्शिता आयेगी वरन् इससे लक्ष्य को निर्धारित समयसीमा के अंदर प्राप्त किया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का यह प्रयोग अन्य विभागों के लिए भी निश्चय ही प्रेरणा का स्त्रोत है। सुलभ संगणक की परिकल्पना से पदाधिकारियों/कर्मियों को नये कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कार्यो को समझने एवं निष्पादन में काफी सहायता मिलेगी।

सुलभ संगणनक को संकलित कर मूर्त रूप प्रदान करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी/कर्मी बधाई के पात्र है।

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव,
बिहार

बिहार सरकार

डॉ बी0 राजेन्दर,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

प्राक्कथन

राज्य अंतर्गत लोक कल्याणकारी योजना को फलीभूत करने हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता एवं व्यावहारिक प्रबंधन इसकी मूलभूत आवश्यकता है। एतदर्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के साथ–साथ सचिवालय स्तर के विभिन्न सेवाओं के सेवा शर्त्तों तथा सेवा विनियामक अन्य कार्यों का सम्पादन सुरूचिपूर्ण एवं प्रवृत्त नियम/उप नियम/परिपत्रों एवं संकल्पों के आधार पर किए जाने का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन विभाग करती है।

बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 एवं समय–समय पर इसमें संशोधन के उपरान्त वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग सेवा विनियामक कार्यों के अतिरिक्त जनशिकायत के निपटारे तथा राज्य के नागरिकों को 14 विभागों के 153 सेवाएँ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध कराती है। सामान्य प्रशासन विभाग नागरिक सेवाओं में नवाचार एवं प्रशासनिक इकाईयों के मध्य नयी तकनीक एवं Good Practices हेतु अग्रणी भूमिका निभाती रही है।

इन सम्पूर्ण उद्देश्यों को दृष्टिपथ रखकर ही वर्ष, 2022 में सुलभ संगणक की परिकल्पना को आत्मसात् किया गया, जिसे विभागीय वेबसाईट पर भी इस उद्देश्य के साथ प्रचारित किया गया कि न केवल सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी/कर्मी आवश्यकतानुसार इसमें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर पायें वरन् अन्य विभाग भी इसे अपने आवश्यकतानुसार उपयोग में ला सकें। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहने के फलस्वरूप आम नागरिक भी सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य पद्धति को आसानी से समझ सकते हैं, जिससे जनमानस के बीच विभाग के दैनिक कार्यकलाप के संदर्भ में पारदर्शी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनी रहे।

वर्ष, 2024 हेतु प्रशाखावार सुलभ संगणक तैयार किया गया है। सुलभ संगणक में प्रशाखा अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों, प्रशाखा के उद्देश्य एवं दायित्व, संरचनात्मक विवरणी, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के संबंध में सूचना, प्रशाखा द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, उपलब्धियों, कार्य योजना, सहायकवार क्रियाशील एवं अक्रियाशील संचिकाओं की सूची, लॉगबुक की समीक्षा, न्यायालयों संबंधी मामले को निर्धारित समय पर करना, पटल एवं प्रशाखा निरीक्षण आदि विविध बिन्दुओं को संकलित किया गया। प्रशाखावार सुलभ संगणक बनाने से विभाग में पदस्थापित कर्मियों, सहायकों को विभागीय कार्यों की पृष्ठभूमि, लक्ष्य एवं उद्देश्य की जानकारी आसानी से सुलभ हो पायेगी, साथ ही उन्हें व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन करने में सहुलियत होगी, जिससे न केवल कार्यों का त्वरित निष्पादन होगा वरन् स्वतः मामलें लम्बित नहीं रह पायेंगे।

इस वर्ष कई प्रशाखाओं को नये कार्य स्थल आवंटित किये गये जो काफी सुंदर एवं सुव्यवस्थित है, जिनकी छायाचित्रों को भी सुलभ संगणक में जगह दी गयी है। संधारित सुलभ संगणक एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा, जो विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ–साथ आने वाले पीढ़ियों के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। निश्चय ही इस प्रकार के सारगर्भित सुलभ संगणक संकलित करने में विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी कोटिशः धन्यवाद के पात्र है।

Rajender 9.10.2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार

श्री रजनीश कुमार, (बि0प्र0से0)
संयुक्त सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिचय

राज्य कर्मियों की सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को आर्थिक संकट से संरक्षण प्रदान करने हेतु मृत कर्मी के एक सुयोग्य आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार वेतन स्तर 01, 02 या 03 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान परिपत्र संख्या–13293 दिनांक–05.10.1991 के द्वारा किया गया है। कालान्तर में आवश्यकता अनुसार उक्त परिपत्र में अनेक संशोधन विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से परिचारित है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निर्गत सभी परिपत्रों को समेकित रूप से विभागीय पत्रांक–16100 दिनांक–23.08.2023 के अंतर्गत एकीकृत मार्गदर्शिका के रूप में परिचारित किया गया है।

शासन में बड़ी संख्या में नवीन पदों के सृजन से उत्पन्न रिक्तियों से उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाईयों के समाधान हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के माध्यम से सेवानिवृत सरकारी सेवकों की सेवा संविदा पर लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के उपर्युक्त योजना लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रशाखा–22 द्वारा किए जा रहे कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए गत वर्ष (2023) में सुलभ संगणक का प्रकाशन किया गया। सुलभ संगणक के प्रकाशन के उपरान्त लंबित कार्यों के अनुश्रवण के साथ ही उपर्युक्त शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों को तीव्र गति से प्राप्त किया जाना संभव हो सका है। इसी कड़ी में सुलभ संगणक का वर्ष 2024 का यह अद्यतन संस्करण नवीन प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा।

09/01/24

संयुक्त सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण	02
2.	पदाधिकारी एवं कर्मियों की विवरणी	03
3.	संचिकाओं की अनुक्रमणिका	04
4.	प्रशाखा को आवंटित कार्य	05
5.	प्रशाखा की कार्य निष्पादन अवधि	06
6.	प्रशाखा का उद्देश्य एवं दायित्व	07
7.	प्रशाखा अंतर्गत कार्य निष्पादन नियमावली/संकल्प/अधिसूचना	08
8.	प्रशाखा में सहायकों के बीच कार्य आवंटन	09
9.	प्रशाखा में सहायकवार क्रियाशील/अक्रियाशील संचिकाओं की संख्या	10
10	प्रशाखा की उपलब्धियाँ	11
11.	प्रशाखा के अनुकम्पा एवं संविदा से संबंधित जाँच-पत्र	14
12.	शाखा की प्राथमिकताएँ	18
13.	शाखा की आगामी कार्य योजना	19
14.	प्रशाखा के कार्यों में उपयोगी परिपत्रों की सूची	20

संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री

↓

श्री आमिर सुबहानी (भा०प्र०से०)
मुख्य सचिव

↓

डॉ० बी० राजेन्दर (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव

↓

श्री रजनीश कुमार (बि०प्र०से०)
संयुक्त सचिव

↓

श्री सतीश कुमार तिवारी (बि०स०से०)
अवर सचिव

↓

श्री प्रभात कुमार (बि०स०से०)
प्रशाखा पदाधिकारी

↓

श्रीमती मंजु कुमारी (बि०स०से)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

↓

श्रीमती संजू राय (संविदा)
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

श्री दिनेश कुमार (बि०स०से)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

↓

श्री नरेन्द्र कुमार (संविदा)
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

पदाधिकारी एवं कर्मियों का विवरण।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	कार्यस्थल	आवासीय पता	मो0 नं0 एवं ई–मेल	फोटो
1.	डॉ0 बी0 राजेन्दर, प्रधान सचिव	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	A3/19, बेली रोड, पटना।	मो0–9473191450 Email:- secy-par-bih@nic.in	
	श्री रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	श्रीराम कुंज अपार्टमेंट, IAS कॉलोनी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना।	मो0–6202556173 Email:- rajnish.kum1972@gmail.com	
2.	श्री सतीश कुमार तिवारी, अवर सचिव	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	फ्लैट नं0–301/C, आशियाना ग्रीन सिटी, सगुना मोड़, पटना।	मो0–9431080703 Email:- satishtiwary@gmail.com	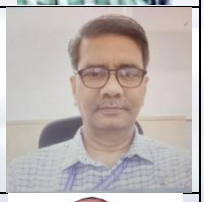
3.	श्री प्रभात कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	टॉवर वाला मकान, बोर्ड फैक्ट्री, इन्डस्ट्रीयल एरीया, पाटलीपुत्र, पटना।	मो0–9431175165 Email:- aryanpraby@gmail.com	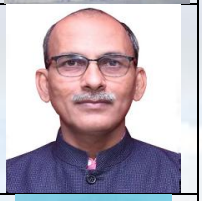
4.	श्रीमती मंजु कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	साकेत बिहार, आम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, पटना।	मो0–9470658035	
5.	श्री दिनेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	काजीपुर, मछुआटोली, पटना।	मो0–9471957166 Email:- dk457351@Gmail.Com	
6.	श्रीमती संजु राय, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत–बेल्ट्रॉन)	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	पुनम गैस गोदाम, आम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, पटना।	मो0–9470726887	
7.	श्री नरेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत–बेल्ट्रॉन)	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	मो0–भिखाचक, पो0–अनीसाबाद वार्ड नं0–13 पटना।	मो0–9608996006 Email:- narenk6006@gmail.com	
8.	श्री मुकेश कुमार, कार्यालय परिचारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	ग्राम– मोरयावाँ पो0–साईं, मसौढ़ी, पटना।	मो0–8521615894	

संचिकाओं की अनुक्रमणिका

क्र०सं०	संचिका सं०	विषय
1	22 / अनु0..... / 2023	अनुकम्पा से संबंधित मामले
2	22 / सी0..... / 2023	कोर्ट केस से संबंधित मामले
3	22 / लो0सू0..... / 2023	लोक सूचना से संबंधित मामले
4	22 / ज0शि0..... / 2023	जन शिकायत से संबंधित मामले
5	22 / क्यू0..... / 2023	विधान सभा / विधान परिषद प्रश्न से संबंधित मामले
6	22 / दै0वे0..... / 2023	दैनिक वेतन भोगी से संबंधित मामले
7	22 / वि0प्रो0स0..... / 2023	विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित मामले
8	22 / क0सं0..... / 2023	कर्मचारी संघ से संबंधित मामले
9	22 / एम0..... / 2023	अन्तर्विभागीय / अन्तर्शाखा पत्राचार से संबंधित मामले
10	22 / सं0नि0..... / 2023	संविदा नियोजन से संबंधित मामले

प्रशाखा–22 को आवंटित कार्य

(i) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।

(iii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(iv) अनुकम्पा से संबंधित संचिका के माध्यम से आगत परामर्श, Court Case, लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार।

(v) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले।

(vi) संविदा नियोजन से संबंधित न्यायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

(vii) दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियोजन से संबंधित Court Case, लोकायुक्त, लोक सूचना, जन शिकायत, सूचना का अधिकार सहित अन्य पत्राचार।

(viii) अनुकम्पात्मक नियुक्ति से संबंधित समाहरणालयों से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधी पत्रों का निष्पादन।

(ix) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(x) पटल से संबंधित न्यायायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

प्रशाखा–22 की कार्य निष्पादन अवधि

क्र0 सं0	विषय	प्रासंगिक परिपत्र/संकल्प	निर्धारित समय	सक्षम प्राधिकार
1	अनुकम्पा से संबंधित परामर्श	सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 एवं परिपत्र सं0–15783 दिनांक–19.11.2014 सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत परामर्श उपलब्ध कराना।	15 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
2	अनुकम्पा नियुक्ति के प्रस्ताव	सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 एवं परिपत्र सं0–11462 दिनांक–24.08.2016	15 कार्यदिवस	केन्द्रीय अनुकम्पा समिति
2	कोर्ट केस से संबंधित मामले	विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–6400 दिनांक–27.10.2016, ज्ञापांक–498 दिनांक–25.01.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 9764 दिनांक–22.07.2019	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
		प्रशाखा द्वारा तथ्य विवरणी तैयार करने वाले मामलों में।	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
3	लोक सूचना से संबंधित मामले	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के आलोक में सूचनावेदकों को वांछित सूचना/कागजात तैयार करना।	07 कार्यदिवस	अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी
4	जन शिकायत से संबंधित मामले	प्राप्त आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना।	05 कार्यदिवस	उप सचिव तथा आवश्यकता अनुसार प्रधान सचिव
5	विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न से संबंधित मामले	माननीय स0वि0स0 के द्वारा विधान सभा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तैयार करना।	04 कार्यदिवस	माननीय प्रभारी मंत्री
6	दैनिक वेतन भोगी से संबंधित मामले	विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–6400 दिनांक–27.10.2016, ज्ञापांक–498 दिनांक–25.01.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 9764 दिनांक 22.07.2019	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
7	विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित मामले	विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
8	कर्मचारी संघ से संबंधित मामले	संबंधित विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन देना।	07 कार्यदिवस	उप सचिव
9	संविदा नियोजन से संबंधित मामले	सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–10000 दिनांक–10.07.2015, परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 एवं परिपत्र सं0–9893 दिनांक–02.08.2017	15 कार्यदिवस	प्रधान सचिव

प्रशाखा–22 का उद्देश्य/दायित्व

(i) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।

(iii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(iv) अनुकम्पा से संबंधित संचिका के माध्यम से आगत परामर्श, Court Case, लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार।

(v) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले।

(vi) संविदा नियोजन से संबंधित न्यायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

(vii) दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियोजन से संबंधित Court Case, लोकायुक्त, लोक सूचना, जन शिकायत, सूचना का अधिकार सहित अन्य पत्राचार।

(viii) अनुकम्पात्मक नियुक्ति से संबंधित समाहरणालयों से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधी पत्रों का निष्पादन।

(ix) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(x) पटल से संबंधित न्यायायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

प्रशाखा अंतर्गत कार्य निष्पादन नियमावली/संकल्प/ अधिसूचना

संविदा नियोजन

- बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–10000 दिनांक–10.07.2015)।
- बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016)।
- बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–9893 दिनांक–02.08.2017)।

अनुकम्पा नियुक्ति

- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ के संबंध में (परिपत्र सं0–16100 दिनांक– 23.08.2023)।

प्रशाखा-22 में सहायकों को आवंटित कार्य

क्र० सं०	सहायक का नाम	आवंटित कार्य
1.	श्रीमती मंजु कुमारी	(i) संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (ii) संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन। (iv) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले। (v) संविदा एवं अनुकम्पा नियोजन हेतु आवेदकों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर कार्रवाई। (vi) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।
2.	श्री दिनेश कुमार	(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों का केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (ii) संचिका एवं पत्रों के माध्यम से प्राप्त अनुकम्पा से संबंधित परामर्श के मामलों में परामर्श का गठन। (iii) अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार। (iv) संविदा नियोजन एवं अनुकम्पा से संबंधित विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य। (v) दैनिक वेतनभोगी से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत, सहित अन्य पत्राचार। (vi) संविदा से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत, सूचना का अधिकार एवं लोक सूचना। (vii) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।

सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित सहायकों के प्रभार के क्रियाशील/अक्रियाशील संचिकाओं की सूची :–

क्र0	प्रशाखा/कोषांग	नाम	क्रियाशील	अक्रियाशील	कुल
01	प्रशाखा– 22	श्रीमती मंजु कुमारी	46	295	341
02		श्री दिनेश कुमार	146	1125	1271
		कुल –	**192**	**1420**	**1612**

उपलब्धियाँ

संविदा नियुक्ति से संबंधित

- प्रशाखा के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के संविदा नियोजन से संबंधित संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति एवं विभाग स्तरीय समिति की कुल–20 बैठकों का आयोजन जनवरी–2023 से अबतक किया गया है। उक्त बैठकों के माध्यम से विभाग स्तरीय चयन समिति के द्वारा उपर्युक्त अवधि में कुल–272 तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा कुल–18 कार्मिकों के संविदा नियोजन की अनुशंसा की गयी। समितियों की बैठकों से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

विभाग स्तरीय चयन समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	09-01-2023	659/09-01-2023	25	
2	20-01-2023	1586/20-01-2023	11	
3	27-01-2023	2015/27-01-2023	11	
4	16-02-2023	3329/16-02-2023	28	
5	03-03-2023	5230/17-03-2023	14	
6	28-03-2023	6052/28-03-2023	16	
7	12-04-2023	6990/12-04-2023	09	
8	26-04-2023	8028/26-04-2023	27	
9	10-05-2023	8928/11-05-2023	08	
10	24-05-2023	9707/25-05-2023	07	
11	14-06-2023	11335/15-06-2023	20	
12	28-06-2023	12439/30-06-2023	11	
13	12-07-2023	13183/12-07-2023	29	
14	28-07-2023	14423/28-07-2023	09	
15	23-08-2023	16172/23-08-2023	16	
16	13-09-2023	17342/14-09-2023	31	
		कुल	**272**	

राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	28-02-2023	4139/01-03-2023	05	
2	16-06-2023	11586/19-06-2023	02	
3	18-07-2023	13701/19-07-2023	04	
4	29-08-2023	16546/29-08-2023	07	
		कुल	**18**	

अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित

- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी एकीकृत मार्गदर्शिका तथा **FAQ** के संबंध में परिपत्र सं0–16100 दिनांक–23.08.2023 निर्गत किया गया है, जिससे आमजनों को अनुकम्पा के नियमों की जटिलताओं को समझने में मार्गदर्शन/मद्द मिलेगी।

- परिपत्र सं0–16100 दिनांक–23.08.2023 को नीचे दिये गये **URL** लिंक के माध्यम से **Website** पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है :–

  https://state.bihar.gov.in/gad/SectionInformation.html?editForm&rowId=2947

- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचारण हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित है। दिनांक–16.02.2023 से अबतक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठकों में विचारोपरांत कुल–16 मामलों में मृत सरकारी सेवक के एक आश्रित के लिए योग्यतानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठकों की विवरणी निम्नवत् है :–

केन्द्रीय अनुकम्पा समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	16-02-2023	3381/16-02-2023	03	
2	12-04-2023	6991/12-04-2023	03	
3	26-04-2023	8039/27-04-2023	02	
4	10-05-2023	8926/11-05-2023	01	
5	24-05-2023	9728/25-05-2023	03	
6	14-06-2023	11524/16-06-2023	02	
7	28-06-2023	12432/30-06-2023	01	
8	23-08-2023	16422/28-08-2023	01	
कुल			**16**	

प्रशाखा में प्रयुक्त होने वाले जाँच-पत्र

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जाँच–पत्र (चेक–स्लिप)

..... विभाग

संचिका सं0–...../2020

पृ0 ...../टि0 से ....., ..., बिहार, पटना की कार्यालय टिप्पणी और प्रस्ताव।

.....के सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित **श्री** .....की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव का विवरण निम्नवत् है :

1. मृत सरकारी सेवक का नाम –	
2. पदनाम –	
3. कार्यालय/विभाग –	
4. मृत्यु की तिथि –	
5. अनुकम्पा हेतु आवेदन की तिथि –	
6. अनुकम्पा आवेदक मृत्यु तिथि के पाँच वर्ष के अन्दर समर्पित किया गया अथवा नहीं –	
7. अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदक का नाम –	
8. मृतक सरकारी सेवक से संबंध –	
9. आवेदक आश्रित की श्रेणी में है या नहीं –	
10. आवेदक की जन्म तिथि –	
11. आवेदक बालिग है अथवा नहीं –	
(क) यदि हॉ तो आवेदन की तिथि को आवेदक की उम्र–	
(ख) यदि हॉ तो आवेदक के बालिग होने की तिथि (यदि लागू हो) –	
(ग) आवेदन बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं –	
12. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक/इन्टरमीडिएट)–	
13. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदित पद (कार्यालय परिचारी–लेवल–1/लिपिक–लेवल–2) –	
14. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चेक स्लिप की स्थिति– (क) विहित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ – (ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित –	
15. मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र (सरकारी सेवक का) –	
16. मूल आवासीय प्रमाण–पत्र –	
17. मूल आय प्रमाण–पत्र –	
18. मूल जाति प्रमाण–पत्र –	
19. शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र – (क) मैट्रिक(बिहार बोर्ड/आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 संस्कृत शिक्षा बोर्ड/मदरसा शिक्षा बोर्ड/अन्य) (ख) इन्टरमीडिएट(बिहार बोर्ड/बि0 इन्टरमीडिएट काउंसिल/आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0/संस्कृत शिक्षा बोर्ड /मदरसा शिक्षा बोर्ड/अन्य) (ग) अन्य उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता	
20. आवेदक का उम्र प्रमाणन हेतु प्रमाण–पत्र –	
21. पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र –	

क्र0	सदस्य का नाम	उम्र	संबंध	विवाहित/अविवाहित
1				
2				
3				
4				
5				

22. आश्रित की नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिए प्रपत्र –
(क) विहित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ –
(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित –

23. आवेदन प्रपत्र खंड–1 कंडिका–05 की सूचना – (पृ0 13 / प0)

क्र0	सदस्य का नाम	उम्र	संबंध	सेवारत है या नहीं
1				
2				
3				
4				
5				

24. पारिवारिक सूची एवं आवेदन प्रपत्र खंड–1 कंडिका–05 की सूचना समरूप है अथवा नहीं –

25. पारिवारिक सूची में उल्लिखित सदस्यों में कोई **सरकारी अथवा गैर–सरकारी नियोजन** में है अथवा नहीं –

26. मूल अनियोजन प्रमाण–पत्र –

27. अनुकम्पा आवेदक के पक्ष में आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र –

क्र0	सदस्य का नाम	अनापत्ति प्रमाण–पत्र का पृष्ठ सं0
1		
2		
3		
4		
5		

28. अनुकम्पा आवेदक का स्व–घोषणा शपथ–पत्र –

29. अनुकम्पा आवेदक का आचरण प्रमाण–पत्र –

अनुसूचीः–01

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच-पत्र।

1	विभाग/कार्यालय का नाम।		**पृष्ठ सं0-**
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।		
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।		
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।		
5	(i) विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होने वाले है। (i) विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।		
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि। (i) सेवानिवृत्ति की तिथि।		
7	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।		
8	अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड की कार्यवाही :– (i) सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में वृहत दण्ड (ii) सेवाकाल के अन्तिम 05 वर्षों में लघु दण्ड (iii) पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (पेंशन नियमावली के अधीन)		
9	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नही।		

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने
वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।

अनुसूचीः–02

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा विस्तार हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच–पत्र।

1	विभाग/कार्यालय का नाम		पृष्ठ सं
2	संविदा नियोजित कर्मी का नाम		
3	पदनाम		
4	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है		
5	जन्म तिथि		
6	सेवानिवृत्ति तिथि		
7	**(A) प्रथम संविदा नियोजन का विवरण**		
	(क) संविदा नियोजन की समिति	–	
	(ख) समिति की बैठक की तिथि	–	
	(ग) प्रथम संविदा नियोजन का आदेश	–	
8	**(B) 65 वर्ष के पूर्व अवधि विस्तार का विवरण**		
	(क) अनुवर्त्ती संविदा नियोजन आदेश	**सं0.....दिनांक.....**	
	(ख) उक्त आदेश द्वारा विस्तारित संविदा अवधि	**(..... से ..... तक)**	
	(ग) 65 वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि	.....	
	(घ) 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक संविदा अवधि विस्तार निरंतर है या नही	**हाँ/नहीं**	
9	**(C) 66 वर्ष के पूर्व अवधि विस्तार का विवरण**		
	(क) समिति की बैठक की तिथि	––	
	(ख) अनुवर्त्ती संविदा नियोजन का आदेश	**सं0.....दिनांक.....**	
	(ग) उक्त आदेश द्वारा विस्तारित संविदा अवधि	**(..... से ..... तक)**	
10	आरोप की स्थिति		
11	दण्ड की स्थितिः–		
	(i) सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में वृहत दण्ड	–	
	(ii) सेवाकाल के अन्तिम 05 वर्षों में लघु दण्ड (iii) पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (पेंशन नियमावली के अधीन)	–	
12	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार की सहमति प्राप्त है या नहीं		
13	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र		

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने
वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।

प्रशाखा की प्राथमिकताएँ

1. विभाग द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यरत कर्मी के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रित को त्वरित राहत पहुँचाने हेतु केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का गठन किया गया है। प्रशाखा द्वारा 15 दिनों पर केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की जाती है ताकि कोई अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित मामला लंबित ना हो।

2. प्रशाखा द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के अंतर्गत संविदा पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय एवं विभागस्तरीय चयन समिति की बैठक भी ससमय की जाती है।

प्रशाखा की आगामी कार्य योजना

1. प्रशाखा द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने तथा समर्पित आवेदनों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल विकसित करने कि लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी से अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में ऑनलाईन पोर्टल विकसित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रशाखा के कार्यों में उपयोगी परिपत्रों की सूची

क्र0 सं0	पत्रांक	दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1	10000	10.07.2015	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।	
2	3815	11.03.2016	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में।	
3	9893	02.08.2017	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जॉच-पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	
4	1012	27.01.2022	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञांपाक-10000 दिनांक-**10.07.2015** के आलोक में संविदा नियोजन से संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों के विरूद्ध संसूचित दण्डादेशों के कुप्रभाव के संबंध में।	
5	16100	23.08.2023	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQके संबंध में।	

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर एक वर्ष में नियमित नियुक्ति कर लिए जाने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ भी की जा चुकी है। परंतु कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है; यद्यपि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलम्ब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा समयक विचारोपरांत विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रकिया निर्गत किया जा चुका है। कालान्तर में उक्त संकल्प की समीक्षा के कम में उसके कतिपय प्रावधानों के वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त संकल्प एवं उसके तहत् निर्गत अन्य संकल्पों/आदेशों को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :–

(1) सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवा निवृत्त अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को इस संकल्प की अधोलिखित उप–कंडिकाओं के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा।

परंतु **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा **संलग्न अनुसूची** में उक्त पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से की जा सकेगी।

(2) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगेः–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन एवं

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन।

(क) <u>भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन</u>।– (i) संकल्प की **संलग्न अनुसूची** में वर्णित पद से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन के लिए इस संकल्प की कंडिका– 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं हाने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चूँकि जिस पद से सरकारी सेवक (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत्त हो रहें हैं, उनका चयन पुनः उसी पद पर किये जाने से संकल्प संख्या–117 दिनांक– 30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा अतः ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का नियोजन अन्य विभाग एवं जिला में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) <u>पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन के लिए</u>–

(i) **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु संबंधित विभाग/प्रमंडल/जिला द्वारा अपने विभागीय/प्रमंडलीय/जिला के website में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त आवेदन इस संकल्प की कंडिका 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किए जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :–

(क) <u>राज्यस्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–सदस्य सचिव
(iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो	– विशेष आमंत्रित सदस्य
(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य

(ख) <u>विभाग स्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य

(iii) संबंधित प्रशासी विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून, पदाधिकारी, जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो – विशेष आमंत्रित सदस्य

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(ग) प्रमंडल स्तरीय चयन समिति– ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन **जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति** की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा। उक्त चयन समिति निम्नवत् होगी–

(i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त – सदस्य

(iii) अपर समाहर्त्ता – सदस्य

(iv) संबंधित कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, (जिनके अधीन संविदा नियोजन प्रस्तावित हो।) – सदस्य

(v) अनुसूचित जाति के उप समाहर्त्ता स्तर के एक पदाधिकारी (जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे) – सदस्य

(4) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी :–

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
(v) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृखंला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद

पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।

(5) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(6) (i) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहॅगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहॅगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महॅगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रकिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रकिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(iii) पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी तथा इस पर निर्णय नियोजन के समय ही संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(7) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन–

(i) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन सरकारी विभागों/कार्यालयों में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों का चयन भी उपर्युक्त उप कंडिका–(3) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

(iii) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

5. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में संकल्प के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. पूर्व से इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/पटना–15, दिनांक– 10.7.2015
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/ पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000 पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची

(देखें संकल्प की कंडिका 3(1), 3(2)(क)(i), 3(2)(ख)(i))

पदों का नाम जिनपर सेवा निवृत्त हाने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है–

1. राजस्व कर्मचारी
2. पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)
3. जन सेवक
4. अमीन
5. अंचल निरीक्षक
6. प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।
7. ए0एन0एम0
8. ग्रेड 'ए' नर्सेज
9. सचिवालय सहायक
10. पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ0टी0 असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मासिस्ट आदि
11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक।
12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग।
13. चालक
14. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली कार्यालय के सहायक प्रबंधक, परिवहन एवं न्याचार का पद।
15. बिहार मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार का पद।
16. जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के लिपिकों, बेंच कलर्कों, आशुटंककों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद।
17. गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के संविदा नियोजन हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के पद।
18. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद।
19. बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी का पद।
20. जल संसाधन विभाग में जनसम्पर्क पदाधिकारी का पद।
21. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) में उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य निरीक्षक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं चालक का पद।
22. श्रम संसाधन विभाग में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में पदाधिकारी का पद।

23. श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला में बियरर, सहायक रसोईया एवं विक्रेता का पद।
24. पर्यावरण एवं वन विभाग के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
25. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का पद।
26. उर्जा विभाग में डिग्री धारी सहायक विद्युत अभियंता का पद।
27. विधि विभाग में अभिलेखावाह का पद।
28. सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिचारी का पद।
29. पर्यावरण एवं वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं अमीन का पद।
30. योजना एवं विकास विभाग के बिहार राज्य योजना पर्षद के अंतर्गत प्रारूपक का पद।
31. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यापालक अभियंता का पद।
32. गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही (तक0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (तक0) स्तर का पद।
33. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद।
34. योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद।
35. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छायाकार, उर्दु सहायक, अनुवादक, वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।
36. सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।
37. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक शिक्षक का पद।
38. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
39. परिवहन विभाग के ट्रेजरी सरकार का पद।
40. गृह (आरक्षी) विभाग के बिहार पुलिस रेडियो संगठन के ऑपरेशनल उप संवर्ग के साक्षर सिपाही (ऑप0), सहायक अवर निरीक्षक (ऑप0), अवर निरीक्षक (ऑप0) एवं पुलिस निरीक्षक (ऑप0) का पद।
41. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवायें, बिहार के कार्यालय में उप निदेशक बजट एवं लेखा (बि0स0से0 के अवर सचिव के समकक्ष) का पद।

42. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय लेखा लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, पम्प ऑपरेटर, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बिग मिस्त्री, इलेक्ट्रिशिएन एवं आदेशपाल का पद।
43. स्वास्थ्य विभाग के प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक का पद।
44. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ट्रेजरी सरकार का पद।
45. गन्ना उद्योग विभाग के अधीन सहायक निदेशक एवं ईख प्रसार पदाधिकारी का पद
46. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानिक क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद
47. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों के अधीन कार्यालय अधिक्षक, प्रधान लिपिक, अभिलेखपाल, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।
48. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यालय परिचारी का पद।
49. खान एवं भूतत्व विभाग में विधि पदाधिकारी पद पद
50. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार के अधीन अभिलेखवाह का पद।
51. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन (क) स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिपिक का पद एवं (ख) स्थानिक आयुक्त, बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के स्वागतक–सह–दुरभाष परिचर का पद।
52. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन निदेशालय में उड्डन लिपिक का पद।
53. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के दुरभाष परिचर का पद।
54. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला का पद।
55. श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त; उप–श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त का पद
56. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि गणना प्रक्षेत्र के केन्द्रीय योजना स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों यथा संयुक्त निदेशक; उप निदेशक; सहायक निदेशक; सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक का पद।
57. बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं अवर सचिव का पद।
58. अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिक–सह–टंकक का पद।
59. वाणिज्य–कर विभाग में वाणिज्य–कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी।

60. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद।

61. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संकलक का पद।

62. ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता संवर्ग के संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी का पद।

पत्र सं0–3/एम0 37/2015 सा0प्र0– 3815/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 11 मार्च, 2016

विषय:– सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पारदर्शी चयन प्रकिया अपनाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

विभागीय संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2010 (सहपठित संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010) में सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने के संबंध में दिशानिर्देश प्रावधानित हैं। फिर भी ऐसे सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु चयन की प्रकिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु चयन समितियों की सुविधा के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये जाते हैं जिनके आधार पर चयन समितियों द्वारा संलग्न अनुसूची–1 में दी गयी अंक तालिका के अनुसार अंक दिये जा सकेंगे।–

(1) संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष से सेवा निवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों को उसी विभाग के उसी पद हेतु चयन में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परंतु एक ही विभाग से एक से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वैसे अभ्यावेदकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जिनका संबंधित विभाग/कार्यालय में संबंधित पद पर कार्यानुभव अधिक अवधि तक रहा हो।

(2) संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष पर संविदा नियोजन हेतु उक्त विभाग/कार्यालय से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर अन्य विभागों/कार्यालयों से उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। ऐसे चयन में संबंधित पद पर अधिक कार्यानुभव अवधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(3) सेवा निवृत्ति के उपरांत संबंधित विभाग के उसी पद पर संविदा के आधार पर नियोजित होकर प्राप्त कार्यानुभव के लिए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(4) चूँकि संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित है और प्रथम नियोजन दो वर्षों के लिए किया जाना है अतः वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको सेवा निवृत्त हुए कम–से–कम समय हुआ हो। अर्थात् संविदा नियोजन में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(5) वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी जिनकी पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन में अभ्युक्ति अधिक श्रेष्ठ हो।

(6) सेवा काल में वृहत् दंड प्राप्त अभ्यर्थियों के मुकाबले बेदाग सेवा वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

2. चयन समितियों द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन पर अनुशंसा करते समय उपर्युक्त प्राथमिकता के आधार पर संलग्न अनुसूची–1 में निर्धारित अंक तालिका के अनुसार अधिकतम 25 अंकों के आधार पर चयन की अनुशंसा की जा सकेगी।

3. सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय संबंधित विभाग /कार्यालय संलग्न अनुसूची–2 में दिये गये जाँच–पत्र में सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. चयन समितियों के समक्ष सेवा निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के वही मामले रखे जा सकेंगे जिनके संबंध में विभागों/कार्यालयों के प्रस्ताव चयन समिति की बैठक के एक माह पूर्व प्राप्त हुए हों और उपर्युक्त दिशा निर्देश के आलोक में कार्यालय द्वारा उनकी समीक्षा कर ली गयी हो।

5. भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में संबंधित विभागों/कार्यालयों से प्रस्ताव बहुधा उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व भेजे जाते हैं। इससे ऐसे मामलों में उनके गुण–दोष के आधार पर समीक्षा किये बगैर मामले चयन समिति के समक्ष रख दिये जाते हैं। अतएव सभी विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के दो माह पूर्व ही चयन समिति को अनुशंसा सहित अग्रसारित किये जायें।

विश्वासभाजन,

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची – 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1	संबधित विभाग में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 5 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 3 अंक 3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव – 2 अंक	5 अंक
2.	अन्य विभागों में में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 3 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 2 अंक 3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 1 अंक	3 अंक
3.	सेवा निवृत्ति के उपरांत उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव	1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव – 2 अंक 2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 1 अंक	2 अंक
4.	संविदा नियोजन के समय उम्र	1. 60 वर्ष – 5 अंक 2. 61 वर्ष – 4 अंक 3. 62 वर्ष – 3 अंक 4. 63 वर्ष – 2 अंक 5. 64 वर्ष – 1 अंक	5 अंक
5.	पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकण प्रतिवेदन	1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्यु0 के लिए – 2 अंक 2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्यु0 के लिए –1.5 अंक 3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्यु0 के लिए – 1 अंक	10 अंक
		कुल अंक	25 अंक

अनुसूची – 2

पूर्व से सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र

1.	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2.	पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3.	प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।	
4.	प्रस्तावित पद संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची के किस कमांक पर शामिल है।	
5.	i.अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम, (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है)। ii. उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
6.	i. विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है। ii. विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
7.	विभाग में उसी पद पर पूर्व में संविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि।	
8.	i. अभ्यर्थी की जन्म तिथि ii. सेवा निवृत्ति की तिथि।	
9.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
10.	अभ्यर्थी को सेवा काल में दिये गये दंडों का विवरण।	

11.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।	
12.	अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन का विवरण ।	वर्ष अभ्युक्ति 1 2 3 4 5

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित
करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर।

पत्रांक–22 / सं0नि0–02 / 2017 सा0प्र0 9893 /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक....02 .अगस्त, 2017

विषयः– भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय जाँच –पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के तहत भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले तथा कंडिका–3 (2)(ख) के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रावधानित किये गये हैं। संकल्प की अन्य कंडिकाओं के तहत दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु सामान्य प्रावधान निरूपित हैं।

2. चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु संकल्प के प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.2016 की अनुसूची–1 में अंकों के निर्धारण तथा अनुसूची–2 के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने हेतु जाँच–पत्र परिचारित किये गये हैं। परन्तु, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के क्रम में संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा नियोजन के इच्छुक कर्मियों से संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराये जाने से चयन समितियों द्वारा अनुशंसा करने में कठिनाई अनुभव की जाती है।

3 अतः अनुरोध है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के प्रावधानों के आलोक में प्रस्ताव भेजते समय संबंधित सरकारी सेवकों के संबंध में संलग्न अनुसूची में विस्तृत सूचना संचिका के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

2/8/17

(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच–पत्र।

1	विभाग/कार्यालय का नाम।	
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।	
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
5	(i) विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होनेवाले है। (ii) विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि।	
7	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
8	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।	

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित
करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर।

पत्रांक–22 / अनु0–02 / 2023 सा0प्र0.161.00../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 23.8.2023

विषयः–सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ के संबंध में।

महाशय,

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अध्याधीन राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को कठिनाईयों से संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्यकर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उसके एक योग्य आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार वर्ग–3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 के अंतर्गत किया गया है। परिपत्र के निर्गत होने के बाद कालक्रम में आवश्यकतानुसार उक्त परिपत्र में अनेक संशोधन किए जाते रहे हैं। संशोधन संबंधी परिपत्रों की बहुलता के कारण, सुगम उपयोग हेतु अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित एक एकीकृत मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

अतः दिनांक–15.08.2023 तक एतद् विषयक निर्गत सभी परिपत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में एक एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ संलग्न है। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के संदर्भ में कोई नया प्रावधान किये जाने पर संलग्न एकीकृत मार्गदर्शिका तथा FAQ तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
Rajendra 23/8/2023
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकम्पा नियुक्ति योजना

(एकीकृत मार्गदर्शिका)

(दिनांक–05.10.1991 से 15.08.2023 तक)

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	शीर्षक	पृष्ठ सं0
1	अनुकम्पा योजना का उद्देश्य	1
2	प्रभावी होने की तिथि	1
3	प्रभाव क्षेत्र	1
4	योजना किस पर प्रभावी है	1
5	अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत आवेदक	3
6	किनका चयन नहीं हो सकता है	3
7	आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा	4
8	नाबालिग होने की स्थिति में आवेदन की समय–सीमा	4
9	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा आवेदन का समर्पण	4
10	भविष्य में शादी नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र	4
11	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति	5
12	आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र	5
13	अनुकम्पा नियुक्ति के समय आवेदक का घोषणा–पत्र	6
14	अनुकम्पा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात	6
15	आवेदन का समर्पण	7
16	अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र	8
17	अनुकम्पा आवेदन हेतु अधिकतम उम्र की क्षान्ति	8
18	मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में	8
19	महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता सशर्त्त छूट	8
20	आश्रित के **Gainfully** नियोजित रहने के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति	9
21	अनुकम्पा आवेदन पर विचारण/अनुशंसा हेतु समितियाँ	9
22	केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का विचारण क्षेत्र	11
23	अनुकम्पा समितियों की नियमित बैठक	11
24	अनुकम्पा योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा	11
25	आरक्षण नीति संबंधी निर्देश	11
26	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार	12
27	नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना	12
28	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुमान्य पद	13
29	नियुक्ति संबंधी विशेष निर्देश	14
30	विभाग/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने पर	14
31	कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति	14
32	अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसित मामलों में पुनर्विचार	15
33	निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान	15
34	अनुकम्पा नियुक्ति की समाप्ति	16
35	अनुलग्नक – 1	16
36	अनुलग्नक – 2	18

अनुकम्पा नियुक्ति योजना

राज्य सरकार की अनुकम्पा नियुक्ति योजना निम्नांकित शीर्षकों के अधीन सुलभ प्रयोग हेतु संकलित की जाती हैः–

(1) अनुकम्पा योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से एक योग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान कर आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों एवं तद्जनित विपत्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाना है।

(2) प्रभावी होने की तिथि :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (10))

(i)इस परिपत्र (पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991) के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है।

(ii) पूर्व में हुई मृत्यु के मामलों पर इस परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर विचार/पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

(3) प्रभाव क्षेत्रः–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (11))

यह परिपत्र राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक उपक्रमों, स्वशासी निकायों, प्राधिकारों, निगमों पर्षदों तथा राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर भी पूर्णरूप से लागू।

(4) योजना किस पर प्रभावी है :–

(A) यह योजना सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य पर प्रभावी होगी।

(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (क))

(B) आश्रित परिवार के सदस्य का तात्पर्य है :–

(i) मृत सरकारी सेवक की पत्नी**(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

नोटः– द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान के मामले में–

(पत्रांक–937 दि0–23.06.2005)

(a)यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधित ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1 (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान

होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का हीं प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। अन्य आश्रितों के नियुक्ति हेतु विचार उनके प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगी।

(पत्रांक–937 दि0–23.06.2005 का नियम (4))

(b)द्वितीय विवाह से जनित संतान को भी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के लाभ की अनुमान्यता होगी बशर्ते ऐसे अनुकम्पा आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जा रही हों। ऐसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1)(घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का हीं प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जॉच के बाद ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा।**(पत्रांक–11715 दि0–13.07.2022 का नियम (4))**

(ii) पुत्र **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(iii) अविवाहित पुत्री **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(iv) पुत्र की विधवा पत्नी**(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (घ))**

(v) मृत महिला सरकारी सेवक के पति (यदि पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो) **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (च)**

(vi) दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री**(केवल हिन्दू सरकारी सेवकों के मामले में)**
(बशर्त्ते की एडॉप्सन हिन्दू एडॉप्सन एण्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त एक्ट के अधीन ऐसा दावा विधिसम्मत हो)**(पत्रांक–512 दि0–12.05.2005)**

(vii) अविवाहित मृत सरकारी सेवक की विधवा मॉ, छोटा भाई एवं अविवाहितछोटी बहन(बशर्त्ते उसके माता–पिता एवं भाई–बहन उसी पर आश्रित हों)**(पत्रांक–7146 दि0–31.10.2008)**

(viii) तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री(बशर्त्ते तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एक मात्र आश्रित हो)

(पत्रांक–1699 दि0–05.05.2010)

(ix) विवाहिता पुत्री **(**बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनके पत्नी अथवा पति के अतिरिक्तअन्य कोई आश्रित न हो)

(पत्रांक–16973 दि0–10.12.2014)

(x) सधवा पुत्रवधू(बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनके पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोईआश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो)**(पत्रांक–14157 दि0–09.11.2017)**

नोटः–अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी–

(a) मृत सरकारी सेवक की पत्नी

(b) पुत्र

(c) अविवाहित पुत्री

(d) पुत्र की विधवा पत्नी

(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम (2 घ))

(5) अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत आवेदकः–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (12))

इस परिपत्र में अंकित ''आवेदक'' शब्द जहाँ–जहाँ भी दिये गये हैं उनका अर्थ, यथा आवश्यक, ''आवेदक'' अथवा ''आवेदिका'' समझा जाय।

(6)किनका चयन नहीं हो सकता :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (2))

निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि खंड (ii) और (iii)के संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ–पत्र नहीं दिया गया हो।

(i) यदि आवेदक के प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं हो।

(ii) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराधी के रूप में न्यूनतम 6 माह के कारावास कर दण्ड हुआ है।

(iii) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय।

(7) आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा :–

(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (6))

अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।

(8)नाबालिग होने की स्थिति में आवेदन की समय–सीमा :–

(पत्रांक–11959 दि0–30.08.2019 का नियम (7))

नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हो, अथवा उसके जीवित माता या पिता के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।

(नोट :– यह प्रावधान पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी है)

(9)लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा आवेदन का समर्पण :–

(पत्रांक–5014 दि0–16.04.2021 का नियम (5))

लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने (जो भी बाद में हो) से अगले 05 वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(10) भविष्य में शादी नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र :–

(पत्रांक–9101 दि0–25.07.2017 का नियम (3))

सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति/विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने अथवा नियुक्ति हेतु अनुशंसित होने पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र प्राप्त नहीं किया जाये।

(11)लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति :–

(पत्रांक–7146 दि0–31.10.2008)

(A)**विचारण की शर्त्तें :–**

(i) सरकारी सेवक के लापता होने के बाद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्ते कि :–

(a) पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो।

(b) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो।

(c) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करें की मामला सत्य है।

(ii) यह लाभ ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में अनुमान्य नहीं होगा :–

(a) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत होना है, या

(b) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(iii) अन्य मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा और यह रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्त के लिए निर्धारित सभी शर्त्तो के पूरा होने पर ही हो सकेगी।

(iv) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(B)**लापता सरकारी सेवक का पुनः प्रकट हो जाना** :–लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से उनके द्वारा कर्त्तव्य की अवधि के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी। लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(12)आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र :–

आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से उसके पक्ष में स्व–घोषित/स्व–प्रमाणित–पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(पत्रांक–1342 दि0–06.02.2017 का नियम (3))

(13) अनुकम्पा नियुक्ति के समय आवेदक का घोषणा–पत्र :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (7) (ग))

नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा–पत्र लिये जाते हैं, यथा–दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा–पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगे।

(14)अनुकम्पा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातः–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (04))

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेत आवेदन विहित प्रपत्र मे जिसका नमूना अनुलग्नक–1 में उपलब्ध है।

(ii) आवेदन पत्र के खण्ड–2 में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक–1 में)।

(iii) मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(iv) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र

(v) आयु संबंधी प्रमाण–पत्र।

(vi) जाति प्रमाण–पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए।

नोटः– उपरोक्त (iii) से (iv) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियॉ एवं एक–एक फोटो स्टेट प्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जहाँ पर मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा। वे ही अनुलग्नक–1 (खंड–2) में विहित के क्रमांक–7 को हस्ताक्षरित करेंगे।

(vii) आश्रितों का स्व–घोषणा पत्र :–

आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से स्व–घोषित/स्व–प्रमाणित पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। [1]

प्रपत्र–।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित आवेदक–आवेदिका के पक्ष में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रित द्वारा समर्पित स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

(i) स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र समर्पित करने वाले का नाम का तथा मृत सरकारी कर्मी से संबंधः–

(ii) स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

(iii) मृत सरकारी कर्मी का नामः–

(iv) मृत्यु की तिथिः–

(v) मृत्यु के समय पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नामः–

(vi) आवेदक/आवेदिका का नामः–

(vii) मैं स्वेच्छा से यह स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत उपर्युक्त सरकारी कर्मी के आश्रितों में से एक हूँ। अनुकम्पा समिति द्वारा यदि आवेदक/आवेदिका श्री/सुश्री/श्रीमती ..... की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। मुझे विश्वास है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा सभी आश्रितों का भरण–पोषण एवं देखभाल किया जायेगा।

नामः–

तिथिः–

प्रपत्र–II

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों द्वारा नियोजन के संबंध में स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

मैं ..... इस स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र के माध्यम से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी स्व0 ..... के आश्रितों में से एक हूँ। मैं किसी सरकारी सेवा अथवा गैर–सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियोजित नहीं हूँ। अतः मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं मृत सरकारी कर्मी के सभी आश्रितों का भरण–पोषण कर सकूँ। अन्य आरित भी किसी सरकारी/गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। अतः आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना गलत प्रमाणित होती है तो, मुझे नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है तथा आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

नामः–
स्थायी तथा पत्राचार का पताः–
तिथिः–

(15) <u>आवेदन का समर्पण</u> :–(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (5))

(i) मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ अंतिम रूप से पदस्थापित थे।

(ii) उक्त विभाग आवेदन को भली–भाँती प्रारम्भिक जाँच कर अनुकम्पा नियोजन हेतु गठित संबंधित समिति के नोडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे।

(16)<u>अनुकम्पा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र</u> :–

(पत्रांक–4188 दि0–25.10.2010)

प्ररिप्रेक्ष्य में एक जाँच–पत्र विहित की गयी है, ताकि संबंधित विभाग के स्तर पर ही समुचित जाँच हो सके (जाँच–पत्र की प्रति संलग्न है–**अनुलग्नक–2**)। अनुरोध है कि अब से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ भेजे जाने वाले मामलों के साथ उक्त विहित जाँच–पत्र भी समुचित एवं पूर्ण रूप से भरकर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17)<u>अनुकम्पा आवेदन हेतु अधिकतम उम्र की क्षान्ति</u> :–

(पत्रांक–8093 दि0–25.07.1998 का नियम (3))

बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के परिशिष्ट–1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष/विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में भी लागू समझा जाय, बशर्ते कि आवेदन समय–सीमा के अंतर्गत दिया गया हो।

(18)मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में :–

मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा, यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जाती हो।

(पत्रांक–13573 दि0–18.11.2021 का नियम (4))

(19) महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता में सशर्त्त छूट :–

(पत्रांक–10073 दि0–18.12.2008 का नियम (3))

मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त्त के साथ औपबंधित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। साक्षरता से आशय है पढ़ने–लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें। साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं या प्राधिकृत पदाधिकारी से साक्षरता प्राप्त करने की जॉच कराकर संतुष्ट हो लेंगे। यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते हैं तो उनकी सेवा निर्धारित समय–सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(20)आश्रित के Gainfully नियोजित रहने के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति :–

(पत्रांक–15783 दि0–19.11.2014)

(i) सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6668/2003 एवं 7044/2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के **Gainfully** नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। **Gainfully** नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण–पोषण हो सके।

(ii) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा। **(पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 का नियम 1 (ड.))**

(21) अनुकम्पा आवेदन पर विचारण/अनुशंसा हेतु समितियॉ :–

(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (3))

(i) माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निर्देश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिसमें कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके।

(ii) उपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :–

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहॉ सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे। यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा। इस स्तर पर गठित समिति अंकित रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार पर वरीयतानुसार तैयार करेगी। तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी। यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी।

(ड.) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय–सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक–05.10.1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय–सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे। अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियॉ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी।

(iii) माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों पर भलीभांति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है:–

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है। आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1– आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0विभाग।	अध्यक्ष।
2– वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।	सदस्य।
3– सचिव, जल संसाधन विभाग।	सदस्य।
4– सचिव, पथ निर्माण विभाग।	सदस्य।
5– जिस विभाग का मामला हो उस विभाग के सचिव।	विशेष आमंत्रित सदस्य।
6– अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3) कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग।	सदस्य–सचिव।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी। रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे।

(iv) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(v) मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहॉ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे। उक्त विभाग आवेदन को भलीभॉति प्रारम्भिक जॉच कर ऊपर गठित संबंधित समिति के नोडेल पदाधिकारीको आवेदन अग्रसारित करेंगे।

(22)केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का विचारण क्षेत्र :–

(पत्रांक–10063 दि0–11.09.1998 का नियम (3))

मात्र सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के मामले हीं केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विभागीय सचिव की स्पष्ट अनुशंसा के साथ संचिका के माध्यम से भेजी जाय।

(23)अनुकम्पा समितियों की नियमित बैठक :–(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की बैठक अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध रहने पर प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी।

(24)अनुकम्पा योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा :–

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में सभी कागजात/प्रमाण–पत्रोंके साथ आवेदन प्राप्त होने पर उसे केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु दो माह की समय–सीमा निर्धारित की जाती है।

(ii) अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्रों की जॉच सहित अन्य औपचारिकताएँ पूरी कर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु अधिकतम एक वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय–सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(25) आरक्षण नीति संबंधी निर्देश :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (06))

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायेगा।

(26) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार :–

(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति (केन्द्रीय अनुकम्पा समिति तथा जिला अनुकम्पा समिति) की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। **(पत्रांक–2822 दि0–27.04.1995 का नियम (4))**

(ii) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकेंगे।

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (7)(ख))

(27) नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (07))

(i) जिस व्यक्ति को नियुक्ति अनुकम्पा के आधार की जायेगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित रूप से अभिलिखित की जायेगीः–

(ii) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरायित्व होगा। नियुक्ति के समय नियुक्ति/पदाधिकारी/कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगाः

घोषणा–पत्र

मैं ..... पिता का नाम..... पदनाम..... ..... पता..... (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण–पोषण करूँगी/करूँगा। मैं इस बात की भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझ इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षरः–

हस्ताक्षर– हस्ताक्षर–

नाम एवं पता– नाम एवं पता–

तिथि– तिथि–

(28) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुमान्य पद :–

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1800/– के लिए की जाएगी और मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के लिए की जाएगी। मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के पैतृक विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किया जाएगा। अगर अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के पद समूह के लिए है तथा पैतृक विभाग में ग्रेड पे 1900/– का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ग्रेड पे 1800/– में नियुक्ति की जाएगी। पैतृक विभाग में ग्रेड पे 1900/– एवं ग्रेड पे 1800/– में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत परिपत्र सं0–2271 दिनांक–02.07.2007 में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा उक्त रिक्ति के विरूद्ध मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(ii) अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे 1800 (मैट्रिक उत्तीर्ण), ग्रेड पे 1900 एवं ग्रेड पे 2000 (मैट्रिक उच्चतर योग्यताधारी) के पद पर की जा सकेगी। अनुशंसा के अनुरूप पैतृक विभाग में (जहॉ मृत्यु के समय सरकारी सेवक पदस्थापित रहें हो) ग्रेड पे 2000 का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे 1900 के पद पर तथा ग्रेड पे 1900 का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ग्रेड पे 1800 के पदों पर उक्त पद हेतु विहित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी। **(पत्रांक–11462 दि0–24.08.2016 का नियम (3))**

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व लिखित जॉच परीक्षा एवं टाईपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(पत्रांक–8082 दि0–05.06.2015)

(iv) अनुकम्पा समितियों द्वारा सिपाही अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है तथा अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान क्षमता की जॉच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(पत्रांक–7722 दि0–27.05.2012)

(29) <u>नियुक्ति संबंधी विशेष निर्देश</u> :—(पत्रांक—13293 दि0—05.10.1991 का नियम (9)(क))

(i) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुये उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(ii) इस परिपत्र का कोई लाभ अबतक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति की संवर्ग/पद परिवर्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायेगी। नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य सरकारी सेवकों की भॉति नियम के अनुसार पूर्व निर्धारित अवधि के लिये परीक्ष्यमान के तौर पर रखेंगे। तत्पश्चात् उस पर, उसकी संपुष्टि हेतु उक्त विभाग/सवंर्ग के नियम ही पूर्णतः लागू होंगे।

(iv) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो नियम उपबन्ध निर्धारित किये गये है, उनको शिथिल करने अथवा उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति केवल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में निहित होगी।

(v) अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है। तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण—पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती हो।

(30)<u>विभाग/कार्यालयों में रिक्तियॉ उपलब्ध नहीं रहने पर</u> :—

(पत्रांक—2271 दि0—02.07.2007)

जिन विभागों/कार्यालयों में रिक्तियॉ उपलब्ध नहीं है, उन विभागों/कार्यालयों के मृत कर्मी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्य विभाग/कार्यालय, जहॉ रिक्तियॉ हैं, को अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी, बशर्ते कि रिक्तियॉ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित नहीं हों। अधियाचित रिक्तियों से भिन्न रिक्तियॉ उपलब्ध रहने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने में टालमटोल करने वाले नियोक्ता/सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(31) कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति :—

(पत्रांक—3647 दि0—30.04.2005 का नियम (4))

कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के लिए सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्य कर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।

(32) अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसित मामलों में पुनर्विचार :–

केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अभ्यर्थी की जिस वर्ग/पद समूह के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसी अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनके द्वारा मामले को सभी तथ्यों के साथ केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति को भेजते हुए दुबारा विचार करने का अनुरोध किया जा सकेगा। लेकिन केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा दुबारा विचार करने के बाद अनुशंसित वर्ग/पद समूह पर नियुक्ति किया जाना नियुक्ति प्राधिकार के लिए अनिवार्य होगा। समिति की अनुशंसा के प्रतिकूल नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सामान्यतः निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

(पत्रांक–5958 दि0–25.04.2012)

(33) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान :–

(i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। परंतु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका–(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेगें।

(iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका–(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक सबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका–(i) का प्रावधान ही लागू समझा जाएगा।

(पत्रांक–7095 दि0–15.07.2021 का नियम (2))

(34) अनुकम्पा नियुक्ति की समाप्ति :–

(पत्रांक–13293 दि0–05.10.1991 का नियम (07)(क)(ii-iii))

(i) अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण–पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ii) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय, एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए, बर्खास्त किया जा सकेगा।

अनुलग्नक – 1

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के प्रपत्र

खण्ड़ – 1

(क) मृत सरकारी सेवक का नाम–
(ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे –
(ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण –
(घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि –
(ड़) स्थायी थे या अस्थायी –

2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का मृत नाम–
(ख) उनका मृत सरकार सेवक से संबंध –
(ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण –
(घ) शैक्षणिक योग्यता –
(ड;) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है, यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें। –
(च) विवाहित अथवा अविवाहित –
(छ) विवाह की तिथि (तिथि स्मरण न हो तो माह एवं वर्षे)–
(ज) यदि विवाहित हैं तो क्या विवाह में दहेज का लेन–देन हुआ था अथवा उसका आश्वासन हुआ था –

3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित –

(क) पारिवारिक पेंशन –
(ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी –
(ग) सामान्य भविष्य निधी में जमा राशि –
(घ) जीवन बीमा पालिसी –
(ड;) चल एवं अचल सम्पति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय –

4. देन पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण (यदि हो तों)।

5. मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रितों का पूर्ण विवरण –
(यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है ता उनका विवरण एवं उनकी आय)।

क्रम सख्या एवं पदनाम	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध साथ संबंध एवं आयु।	सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूर्ण विवरण एवं कुल उपलब्धियाँ।
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. आवेदक का पूरा स्थायी पता –
7. आवेदक का पूरा वर्तमान पता –
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, अथवा किसी मुकदमें में उसे सजा हुई है?यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें–

घोषणा–पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उर्पयुक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं। यदि उर्पयुक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा पाया जायगा, तो मेरी सेवायें तक्काल समाप्त कर दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त मेरे विरूद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकेगी, जो उचित और उपेक्षित हो।

दो निष्पक्ष गवाह का हस्ताक्षर, नाम एवं पता

(1) ..... (उम्मीदवार का हस्ताक्षर एवं तारीख)

(2) ..... पूरा पता :–

खण्ड–2

1. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम–
   (ख) मृत सरकारी सेवक से उसका संबंध–
   (ग) शैक्षणिक योग्यता, उम्र (जन्म तिथि) एवं अनुभव यदि हो तो–
   (घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है–
   (ड़) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है?–
   (च) क्या उम्मीदवार पद के लिये विहित अर्हता (उम्र संबंधी अर्हता सहित) धारण करता है–
   (छ) नियोजनालय की प्रक्रिया के शिथिलीकरण करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण भी अपेक्षित है?–
2. क्या खण्ड–1 में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय/विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जॉच कर ली गई है?–
3. क्या मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति, नियुक्ति की विहित प्रक्रिया का तथा आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए रोस्टर बिन्दु के अनुसार की गई थी?–
4. क्या आवेदक विवाहित हैं? यदि हाँ तो विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी?–
5. क्या आवेदक की दो पत्नियॉ/पति जीवित है?–
6. क्या आवेदक ने विवाह में दहेज लेने/देने का कार्य किया था अथवा उसका आश्वासन लिया/दिया था?–
7. मृत सरकारी सेवक जहाँ अंतिम समय में कार्यरत थे, के कार्यालय प्रधान का पूर्ण हस्ताक्षर, तिथि एवं कार्यालय की मुहर–
8. नियंत्रण पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष (यदि वे कार्यालय–प्रधान से वरीय पदाधिकारी हों) की अनुशंसाएँ–

अनुलग्नक – 2

जाँच–प्रपत्र (चेक स्लिप)

स्व0.....के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/सुश्री/श्रीमती .....
..... की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

1	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम (वेतनमान सहित)	.....
2	पदस्थापन का विभाग/कार्यालय	.....
3	नियुक्ति नियमित पद पर विधिवत तथा आरक्षण रोस्टर के अनुसार हुई थी या नहीं	.....
4	प्रदत्त सेवा की कुल अवधि	.....
5	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	.....
6	मृत्यु की तिथि	.....
7	आश्रितों की सूची पूर्णतः अंकित है या नहीं	.....
8	आवेदक का नाम	.....
9	मृतक सरकारी सेवक से संबंध	.....
10	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	.....
11	आवेदक की जन्म तिथि	.....
12	आय प्रमाण–पत्र	.....
13	जाति प्रमाण–पत्र	.....
14	समूह 'ग' एवं 'घ' में रिक्तियों की सूचना	.....
15	आवेदन पत्र खंड–2 की कंडिका 7 एवं 8 में सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं	.....
16	विधवा पत्नी का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	.....
17	अन्य आश्रितों का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	.....
18	यदि कोई आवेदक प्रथम संतान न होकर अन्य संतान है तो ज्येष्ठ संतान का अनियोजन प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं	.....
19	आश्रितों में से कोई सरकारी सेवा में या अन्यत्र नियोजित है या नहीं (पूर्ण विवरण दें)	.....
20	आवेदन पत्र के दोनों खण्डों की सभी कंडिकाओं पर पूर्ण सूचना अंकित है या नहीं	.....
21	आवेदन करने की तिथि	.....
22	आवेदन समय सीमा के अन्दर है या नहीं	
23	आवेदक न्यूनतम एवं अधिकतम आयु–सीमा के अन्दर है या नहीं	.....
24	प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सचिवालय/संलग्न कार्यालय में नियुक्त होकर कार्यरत थे।	.....

संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुकम्पा नियुक्ति योजना से संबंधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्रम सं0	अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रश्न	उत्तर
1	किस परिपत्र के तहत संप्रति अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को विनियमित किया जाता है?	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विनियमित की गयी है।
2	अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य क्या है?	सरकारी सेवक के मृत्युपरांत उसके एक आश्रित को बिना विलंब के समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त कर पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाना हीं अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य है।
3	क्या संविदा नियोजित कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ मिल सकता है?	नहीं। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत नियुक्त 'सरकारी सेवक' के आश्रित को हीं देय है।
4	अनुकंपा नियुक्ति हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा क्या है?	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बिहार सेवासंहिता के नियम–54 के परिशिष्ट–I के तहत अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।
5	क्या किसी पद विशेष के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा, अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में शिथिल की जा सकती है?	हाँ। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम–54 के परिशिष्ट–I के तहत अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।

6	क्या किसी पद विशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ शिथिल की जा सकती है?	नहीं।
7	अनुकंपा नियुक्ति मामलों में उम्र की गणना करने के लिए निर्धारित तिथि कौन सी होगी?	आवेदक के आवेदन समर्पण की तिथि को अनुकंपा आवेदक की उम्र की गणना की जाती है।
8	किस परिपत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित उच्चतम उम्र सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है?	अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित उच्चतम उम्र सीमा में छूट के लिए सरकारी विभागों में विभागाध्यक्ष तथा आयुक्त कार्यालय या उसके अधीन जिला कार्यालयों के संबंध में संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त सक्षम प्राधिकार है।
9	अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ निर्धारित मृतक के आश्रितों की सूची में परिवार के कौन से सदस्य शामिल है?	अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ निर्धारित मृतक के आश्रितों की सूची निम्नवत् है– • मृत सरकारी सेवक की **पत्नी,पुत्र, अविवाहित पुत्री** एवं **पुत्र की विधवा पत्नी** • **दत्तक पुत्र** एवं **दत्तक अविवाहित पुत्री** • **तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री** • सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में **विवाहिता पुत्री** (बशर्ते कि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो) • मृत सरकारी सेवक की **सधवा पुत्रवधू** (बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो) • अविवाहित मृत सरकारी सेवक की **विधवा माँ, छोटा भाई** एवं **अविवाहित छोटी बहन** • **मृत महिला सरकारी सेवक के पति**

10	क्या विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	हाँ। सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में **विवाहिता पुत्री** को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय है (बशर्ते कि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो)
11	क्या विवाहित भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	हाँ। अविवाहित मृत सरकारी सेवक के विवाहित/अविवाहित **छोटे भाई** को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय है।
12	क्या अनुकंपा पर नियुक्ति प्राप्त विधवा को शादी के बाद सेवा में बनाए रखने दिया जा सकता है?	हाँ।
13	क्या लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने, जो भी बाद में हो, से अगले 05 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।
14	मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रित यदि नियोजन में हो तो ऐसे मामलें में क्या परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है?	नहीं। मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रित यदि सरकारी या गैर सरकारी सेवा में हो तो ऐसे मामले में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देय नहीं है।
15	मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रिता यदि नियोजन में हो किन्तु परिवार से अलग रहता है तो ऐसे मामले में क्या परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया	नहीं। सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के **Gainfully** नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को

	जा सकता है?	अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है।
16	अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है?	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्तर पर केन्द्रीय अनुकंपा समिति तथा जिला स्तर पर जिला अनुकंपा समिति अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए सक्षम प्राधिकार है।
17	किन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	अनुकंपा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रख कर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे ₹1800 **(संशोधित वेतनमान का वेतन स्तर–01 – मैट्रिक उत्तीर्ण)**, ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹2000 **(संशोधित वेतनमान का वेतन स्तर– 02 एवं 03 मैट्रिक से उच्चत्तर योग्यताधारी)** के पद पर की जा सकेगी।
18	क्या समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	नहीं।
19	क्या भविष्य की रिक्तियों के विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है?	नहीं।
20	क्या उच्चतर योग्यता धारी आश्रित को समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है?	नहीं।
21	क्या अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा?	नहीं। रिक्ति यदि आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जाएगा।
22	क्या अनुकंपा नियुक्त आश्रित पर मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों की देखभाल का दायित्व होगा?	हाँ। यदि अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा

		कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
23	क्या अनुकंपा पर नियुक्त कर दिए गये आश्रित को किसी अन्य पद के विरूद्ध अनुकंपा पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है?	नहीं।
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा का आवेदन कहाँ समर्पित किया जाएगा?	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा का आवेदन उसी विभाग/ कार्यालय में दिया जायेगा जहॉ सरकारी सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थापित थे।
25	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा क्या होगी?	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा मृत्यु की तिथि से अधिकतम 05 वर्ष तक है।
26	अनुकंपा नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय अनुकंपा समिति के समक्ष विचारार्थ कौन से मामले रखे जाएंगे?	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले केन्द्रीय अनुकंपा समिति के समक्ष विचार के लिए रखे जायेगें।
27	अनुकंपा नियुक्ति हेतु गठित जिला अनुकंपा समिति के समक्ष विचारार्थ कौन से मामले रखे जाएंगे?	जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले जिला अनुकंपा समिति के समक्ष विचार के लिए रखे जायेगें।
28	क्या द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	हाँ। द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा का लाभ देय है बशर्ते की पहली पत्नी और उनके पुत्र एवं पुत्री को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो।
29	अनुकंपा समिति के बैठक की आवृत्ति क्या होगी?	यदि आवेदन प्राप्त हो तो तीन माह में एक बार ।

30	अनुकंपा नियुक्ति का जाँच–पत्र किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा?	संयुक्त सचिव से अन्यून ।
31	मैट्रिक उत्तीर्ण अनुकंपा आवेदक की नियुक्ति किस ग्रेड पे पर की जाएगी?	अनुकंपा नियुक्ति में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्ति की जाती है। ग्रेड पे 1800/– (संशोधित वेतन स्तर–01)
32	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अनुकंपा आवेदक की नियुक्ति किस ग्रेड पे पर की जाएगी?	अनुकंपा नियुक्ति में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर योग्यतानुसार नियुक्ति की जाती है। ग्रेड पे 1900/– (संशोधित वेतन स्तर–02)
33	अनुकंपा नियुक्ति मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा में संशोधन संबंधी परिपत्र किस तिथि से प्रभावी है?	पत्र निर्गत तिथि 30.08.2019 से।
34	मृत सरकारी सेवक के पति अथवा पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में क्या उसके आश्रित को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	हाँ। (बशर्ते की मृत सरकारी सेवक के पति अथवा पत्नी को सरकारी सेवक की मृत्यु के पहले पेंशन का लाभ मिल रहा हो)
35	अनुकंपा नियुक्ति मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा आवेदन करने के लिए समय सीमा सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित है। क्या इस समय सीमा में छूट दी जा सकती है?	नहीं।
36	नियुक्ति के लाभ हेतु आवेदक को कौन–कौन से प्रमाण–पत्र समर्पित करने होते है?	पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र मूल अनियोजन प्रमाण–पत्र आवेदक का उम्र प्रमाणन हेतु प्रमाण–पत्र आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र (सरकारी सेवक का) मूल आवासीय प्रमाण–पत्र मूल आय प्रमाण–पत्र मूल जाति प्रमाण–पत्र

		अनुकम्पा आवेदक के पक्ष में आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनुकम्पा आवेदक का स्व–घोषणा शपथ–पत्र अनुकम्पा आवेदक का आचरण प्रमाण–पत्र
37	क्या महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों को अर्हता सशर्त्त छूट दी गयी है?	हाँ।
38	क्या कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय है?	हाँ।
39	लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?	अनुकम्पा पर नियुक्त उसके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
40	अनुकंपा आवेदन प्राप्त होने पर उसे केंद्रीय/जिला अनुकंपा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु समय सीमा क्या है?	दो माह।
41	अनुकंपा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु समय सीमा क्या है?	अधिकतम एक वर्ष।
42	अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो विभाग/कार्यालय क्या कार्रवाई करेंगे?	ऐसे में अन्य विभाग/कार्यालय जहॉ रिक्तियॉ है, को अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी। बशर्त्ते रिक्तियॉ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित न हो।
43	लापता सरकारी सेवकों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के विचारण की शर्त्ते क्या है?	ऐसे मामलों में विचारण की शर्त्ते निम्नवत् है– (i) पुलिस थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो। (ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो। (iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है।
44	किन मामलों में लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा लाभ अनुमान्य होगा?	लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले, धोखाधड़ी, विदेश जाने अथवा आतंकवादी संगठन में शामिल होने के संदेह वाले सरकारी सेवकों के

		मामले में अनुकंपा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।
45	यदि मृत सरकारी सेवक की पत्नी जीवित न हो तो संतान के रूप में मात्र विवाहित पुत्री रहने पर क्या विवाहित पुत्री को अनुकंपा का लाभ देय होगा?	पुत्री यदि विवाहित है और उसके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उसे अनुकंपा का लाभ देय नहीं है।
46	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक आश्रित द्वारा अनुकंपा आवेदक आश्रित के पक्ष में अनापत्ति शपथ पत्र देने से इंकार करने पर क्या अनुकंपा नियुक्ति संभव है?	नहीं। अनुकंपा आवेदक आश्रित के पक्ष में सभी अन्य आश्रितों का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

पत्रांक–22 / अनु0–03 / 2022सा0प्र0– 11715 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 13.7. 2022.

विषय –मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित किये गये है:–

"3. उपर्युक्त नियम से स्पष्ट है कि कोई सरकारी सेवक, चाहे उसे पर्सनल लॉ के अनुसार ऐसा करने की अनुमान्यता हो या न हो, बिना सरकार की पूर्व अनुज्ञा के, पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह या विवाह के लिए करार नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वह बिना सरकार की अनुज्ञा के विवाह करता है तो ऐसी पत्नी और उससे उत्पन्न संतान को संबंधित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं हो सकती है।

4. यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसा द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–(1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत् एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम

पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथपत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथपत्र की सत्यता की जॉच के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथपत्र के आधार पर हो सकेगा।''

2. उपर्युक्त प्रावधान के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—1778/2021 में दिनांक—28.05.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:—

State counsel is hereby directed to ascertain from the official respondent as to whether the present matter is covered by the full Bench decision of this Court dated 18-04-2019 passed in L.P.A No. 1305 of 2013 and connected matter in the case of The Bihar State Electricity Board & Ors. & the State of Bihar through Secretary General & Administrative Department Vs. Chandrashekhar Paswan & Ors. reported in 2019 (2)PLJR 500, in which the circular dated 23-06-2005 is struck down. In the result, wheather petitioner is entitled to compassionate appointment being the son of second wife or not?

3. उपर्युक्त न्यायादेश में संदर्भित एल0पी0ए0 सं0—1305/2013 में दिनांक—18.04.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:—

"61. In view of the discussions made above, LPA Nos. 1305 of 2013 and 1608 of 2014 are dismissed. However, we modify the order dated 13-08-2012 passed by the learned Single Judge in CWJC No. 9329 of 2012 as under:

The impugned circular no. 937 dated 23-06-2005 issued by the Personnel and Administrative Reforms Department, Government of Bihar, Patna stands quashed to the extent it prevents the children of the second wife from being considered for appointment on compassionate ground. The respondents in LPA no. 1305 of 2013 are directed to consider the claim of the respondent-writ petitioner Chandra Shekhar Paswan for appointment on compassionate ground and issue appropriate orders as early as possible preferably within three months from the date of receipt/production of a copy of the order."

4. उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 मे वर्णित न्यायादेशो के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 की कंडिका–3 एवं 4 इस हद तक संशोधित किया जाता है:–

"3. विलोपित।

4. द्वितीय विवाह से जनित संतान को भी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के लाभ की अनुमान्यता होगी बशर्त्ते ऐसे अनुकम्पा आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जा रही हों। ऐसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जॉच के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा।"

5. उपर्युक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1305/2013 (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9329/2012) में आदेश पारित किये जाने की तिथि 18.04.2019 से ही प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

Rajendra 13.7.2022

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–22 / अनु0–01 / 2017 सा0प्र0– 13573 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 18. 11. 2021.

विषय – मृत सरकारी सेवक के पति / पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ की देयता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–03 एवं 04 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका– (1)(ड.) का प्रावधान निम्नवत् है:–

(ड.) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा।

2. सम्प्रति अनुकम्पा नियुक्ति के कतिपय ऐसे रेफरेन्स सामान्य प्रशासन विभाग में आये जिसमें मृत सरकारी सेवक के पति / पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में दूसरे की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा या नहीं, इस बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी।

3. तदक्रम में उपर्युक्त मामले पर विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य / परामर्श निम्नवत् प्राप्त है :–

As per the policy decision of the State Government contained in Memo No-13293 dated-05.10.1991 in terms of clause 1(ड.) thereof dependents of such deceased Government Servant whose spouse is also in Government service would not be eligible for compassionate appointment.

In the case at hand, the spouse of the deceased Government servant was not in service at the time of her death as he had superannuated.

In my view, since a retired person cannot be deemed to be in service, the restriction of clause 1(ङ.) would not apply and any eligible dependent of the deceased Government servant may be considered for compassionate appointment.

4. अतः उपर्युक्त विधिक परामर्श के आलोक में मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा, यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जाती हो।

विश्वासभाजन

11/2/

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :–बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्वर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में।

समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवाओं की नियमावलियों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संदर्भ में समरूप प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उक्त विषय के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न लिपिकीय सम्वर्गों के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नवत् प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया जाता है–

(i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को पूर्ववर्त्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका–(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे।

(iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका–(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका–(i) का प्रावधान ही लागू समझा जायेगा।

3. यह तुरत प्रवृत होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/7/21

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0 12/2021 सा0प्र0 7095 **/पटना, दिनांक–** 15-7-21

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12/7/21

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–12/2021 सा0प्र0 7095 /पटना, दिनांक– 15-7-21

प्रतिलिपि–राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक –22/अनु०–01/2017सा0प्र0...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 2021

विषय– लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विचाराधीन विषय के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–589/2019 में दिनांक–19.09.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"The case of the petitioner is squarely covered by the aforesaid decision. In the instant case also the wife of the deceased employee had diligently made application in January 2013 itself. Since the employee became traceless on 24.9.2005 the presumption of civil death would have arisen only after seven years, i.e. in September 2012. For compassionate appointment in such cases, the legal heir/dependent would be elegible only after declaration of civil death. Only when the seven years period under Section 108 of the Evidence Act lapses the legal heir or dependent would become elegible for claiming compassionate appointment. Therefore date with effect from which employee has become traceless is not relevant.

In the circumstances the claim made by the petitioner's mother cannot be said to be belated or delayed in any respect. The authorities are required to consider claim of the petitioner as per admissibility/elegibility on all other grounds. The authorities cannot deny the petitioner consideration on the ground that the application has been made more than five years after the employee became traceless.

District Compassionate Committee should proceed to consider claim of the petitioner having regard to all other requisites for grant of compassionate appointment in accordance with the procedure and scheme for compassionate appointment. Let final decision be taken by the District Compassionate Committee, Aurangabad (respondent No. 9) within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

4/4/21

In view of decision in the case of Kundan Kumar (supra) taken note of hereinabove this Court would observe that to avoid such delay and consideration in such matters arising out of civil death authorities may consider the desirability of issuing appropriate guidelines in this regard from the General Administration Department to the various compassionate appointment committees in light of decision in the case of Kundan Kumar (supra). Such an observation is being recorded so that claim for compassionate appointment can be considered compassionately and without going through unnecessary delay in seeking guidance individually. These observations are not to be treated as directions and are subject to exercise of discretion by the State Government in this regard.

Writ petition is allowed."

2. उपर्युक्त न्यायादेश में माननीय न्यायालय का मानना है कि जब किसी लापता व्यक्ति के मृत्यु की सम्पुष्टि उसके लापता होने के सात वर्ष के बाद होती है, तब मृत्यु की सम्पुष्टि होने के पूर्व ही उसके आश्रित से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन समर्पित करने की अपेक्षा न्यायसम्मत् नहीं है। इस आधार पर न्यायालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से विचाराधीन विषय के संदर्भ में नया मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. उपर्युक्त संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि लापता कर्मियों सहित अनुकम्पा संबंधी किसी मामले में अब तक पाँच वर्षों के अन्दर ही आवेदन देने संबंधी मार्गदर्शन विभागीय पत्रांक–9990 दिनांक–04.08.2017 द्वारा निर्गत है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही लापता कर्मियों के संदर्भ में परिजनों के 02 वर्ष के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन देने का प्रावधान किया गया है, परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–108 में अभी भी लापता व्यक्तियों के कानूनी रूप से मृत घोषित किये जाने हेतु निर्धारित समय अवधि 07 वर्ष ही है। वर्णित स्थिति में सम्प्रति प्रवृत्त प्रावधानों के आलोक में लापता कर्मियों के मृत्यु की पुष्टि उनके लापता होने के 07 वर्ष के बाद ही हो सकेगी, फलतः 07 वर्ष के पूर्व मृत्यु की सम्पुष्टि के अभाव में उनके परिजनों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किये जाने पर भी ऐसे मामलों में किसी प्राधिकार द्वारा निर्णय लेने में कठिनाई है।

4. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11959 दिनांक–30.08.2019 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा निम्नवत् पुनर्निधारित की गयी है–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता, दोनों जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो को नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 01 वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

5. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने के संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् नीतिगत निर्णय संसूचित किया जाता है–

"(i) लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने, जो भी बाद में हो, से अगले 05 वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में

भी उपर्युक्त कंडिका–4 में वर्णित परिपत्र संख्या–11959 दिनांक–30.08.2019 के प्रावधान का लाभ अनुमान्य होगा।

6. अतः अनुरोध है कि लापता सरकारी सेवकों के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों पर विचार के क्रम में तदनुसार समुचित निर्णय लिया जाय तथा अपने अधीनस्थों को भी इससे अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जगदीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–22/अनु०–01/2017सा0प्र0 5014 **/ पटना–15, दिनांक** 16-4-21

प्रतिलिपि–(1) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/4/21
सरकार के उप सचिव

पत्रांक–22/सी0–09/2016 सा0प्र0–......11959....../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30 अगस्त 2019.

विषयः – अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

6–अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4786/2016 आशीष कुमार गुप्ता–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4965/2016 राहुल मोदक–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.08.2018 को पारित समेकित न्यायादेश में निम्नांकित अभिमत व्यक्त किया गया है :–

"In the aforesaid view of the matter, no error can be found in the decisions impugned in the two writ petitions. However, while upholding such decision, this Court would definitely ask the state to again address itself on the issue for bringing about appropriate amendment in the Rules governing the scheme of compassionate appointment especially where children of government employees are orphaned at a very tender age. In fact, it is perhaps catering to such situation that the scheme originally framed on 05-10-1991 did not stipulate any period for such application, which has been introduced vide amendment on 27-4-1995.

Considering that the claim of compassionate appointment is more in the nature of a social welfare measure, the respondent State through the Chief Secretary, the Social Welfare Department and the General Administration Department may well ponder over the necessity of appropriate amendment in the Rules governing the compassionate appointment for protecting the interest of minor dependants on the lines of the stipulation present in Rule 5 of the Karnataka Civil Services (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 which while prescribing a limitation period for filing such application by adult dependants, also regulates the case of present kind where the minor

children of government employees are left to face the world by the death of the parents at an early age."

3. उपर्युक्त न्यायिक अभिमत में संदर्भित Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का परन्तुक निम्नवत् है:–

" 5. Every dependant of a deceased government servant, seeking appointment under these Rules shall make an application within one year from the date of death of the government servant, in such form, as many be notified by the Government, from time to time, to the Head of the Department under whom the deceased government servant was working.

"Provided that in the case of a minor, application shall be made within a period of one year after attaining majority."

4. माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिनांक–18.08.2018 को पारित न्यायादेश में अंकित अभिमत के आलोक में Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का संदर्भ लेते हुए बिहार सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में उल्लिखित अनुकम्पा मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया।

5. सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

6. Indian Majority Act 1875 के Section- 3 (1) के अनुसार भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के पहले नहीं बल्कि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर बालिग होगा।

7. उपर्युक्त के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाने का प्रस्ताव है :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

विश्वासभाजन,

21/8/19

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक–22 / अनु0–05 / 2012 सा0प्र0...14157... /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–09.11.2017

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1)(ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है जिसमें मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक–512 दिनांक–12.05.2005 के तहत कुछ शर्त्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 को इस हद तक संशोधित किया गया है। पत्रांक–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। तदुपरान्त पत्रांक–1699 दिनांक–05.05.2010 द्वारा इस शर्त्त के साथ मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक / विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एक मात्र आश्रित हो। पुनः परिपत्र सं0–16973 दिनांक–10.12.2014 द्वारा मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित की श्रेणी में लाया गया है बशर्त्ते की मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो।

2. विचार के क्रम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले भी दृष्टिगत हुए हैं जिनमें विभिन्न परिपत्रों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभी तक घोषित आश्रितों में से कोई भी आश्रित शारीरिक / मानसिक रूप से सक्षम अथवा सरकारी सेवा में नियोजन के योग्य नहीं होते हैं, उस परिवार में मृत सरकारी सेवक की केवल सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) ही अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य पाये जाते हैं। किन्तु, सधवा पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ संभव नहीं हो पाने से उसके परिवार के

समक्ष आश्रित के भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुकम्पा नियुक्ति की नीति का मूल उद्देश्य ही सरकारी सेवक की सेवाकाल में हुई असामयिक मृत्यु के कारण उसके आश्रितों/परिवार के समक्ष उत्पन्न भरण–पोषण की समस्या का निराकरण करना तथा तत्समय उत्पन्न आर्थिक तंगी से बचाना है। अतएव सधवा पुत्रवधू को भी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का आश्रित माने जाने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस संबंध में विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू को भी आश्रितों की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, **बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो।**

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1 (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाये।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–22 / अनु0–05 / 2012 सा0प्र0 9101 /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–25 जुलाई, 2017

विषयः– **सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति / विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा होने पर भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र नियुक्ति के पूर्व प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी होने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के समय उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र समर्पित करने की अपेक्षा की जाती है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) से निर्गत परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–9 (छ) में निम्नांकित प्रावधान हैः–

"अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण–पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती है। "

2. उपर्युक्त प्रावधान से स्वतः स्पष्ट है कि किसी विधवा की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा होने पर भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र नियुक्ति के पूर्व प्राप्त किये जाने की अपेक्षा नहीं है।

3. अतः समुचित विचारोपरान्त इस आशय का दिशा–निर्देश परिचारित करने का निर्णय लिया गया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति / विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने अथवा नियुक्ति हेतु अनुशंसित होने पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र प्राप्त नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन
25/7/2017
(भीम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

पत्रांक–22 / अनु0–05 / 2012 सा0प्र0 1342 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 6 फरवरी, 2017

विषयः– **अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नोटरी / दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित / स्व प्रमाणित –पत्र को अनुमान्य करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध–सरकारी पत्रांक–के0 11022 / 67 / 2012 ए0आर0 दिनांक–17.07.2014 तथा मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के अ0स0 पत्रांक–502 / 03 / 02 / 2014–सी0ए0भ0 दिनांक–30.07.2014 के तहत भारत सरकार द्वारा नोटरी / दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित / स्व प्रमाणित–पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं / सेवाओं में, जहाँ वैधिक शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं है, को छोड़कर, अन्य मामलों में नोटरी / दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित / स्व प्रमाणित–पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितो में से किसी एक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए उसके पक्ष में अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ–पत्र प्राप्त किया जाता है जो नोटरी / दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र होता है। उसी प्रकार आश्रितों के अनियोजन के संबंध में भी उनसे प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाते हैं। उपर्युक्त शपथ–पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से उसके पक्ष में स्व–घोषित / स्व प्रमाणित–पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जो प्रपत्र–1 के रूप में संलग्न है। आश्रितों के संबंध में नियोजन से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु स्व–घोषित / स्व प्रमाणित–पत्र प्रपत्र–2 के रूप में संलग्न किये जाते हैं। अनुरोध है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रितों से तदनुसार स्व–घोषित / स्व प्रमाणित–पत्र प्राप्त किया जाये।

अनुलग्नकः–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

E drive/current doc./22/anu-05/2012

प्रपत्र–I

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित आवेदक/आवेदिका के पक्ष में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रित द्वारा समर्पित स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

(1) स्व–धोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र समर्पित करने वाले का नाम तथा मृत सरकारी कर्मी से संबंधः–

(2) स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

(3) मृत सरकारी कर्मी का नामः–

(4) मृत्यु की तिथिः–

(5) मृत्यु के समय पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नामः–

(6) आवेदक/आवेदिका का नामः–

(7) मैं स्वेच्छा से यह स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत उपर्युक्त सरकारी कर्मी के आश्रितों में से एक हूँ। अनुकम्पा समिति द्वारा यदि आवेदक/आवेदिका श्री/सुश्री/श्रीमती.....की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। मुझे विश्वास है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा सभी आश्रितों का भरण–पोषण एवं देखभाल किया जायेगा।

नामः–

तिथिः–

E drive/current doc./22/anu-05/2012

प्रपत्र–II

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा नियोजन के संबंध में स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

मैं.....इस स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र के माध्यम से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी स्व0 ....के आश्रितों में से एक हूँ। मैं किसी सरकारी सेवा अथवा गैर–सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियोजित नहीं हूँ। अतः मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं मृत सरकारी कर्मी के सभी आश्रितों का भरण–पोषण कर सकूँ। अन्य आश्रित भी किसी सरकारी/गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। अतः आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना गलत प्रमाणित होती है तो, मुझे नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है तथा आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

नामः–

स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

तिथिः–

E drive/current doc./22/anu-05/2012

पत्रांक–22 / अनु0– 05 / 2012सा0प्र0–11462 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 24 अगस्त, 2016.

विषय – **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर ग्रेड पे ₹1800 एवं ग्रेड पे ₹1900 के साथ–साथ ग्रेड पे ₹2000 पर भी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के क्रम में आवेदन कर्त्ता के शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे ₹1800 अथवा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किसी संवर्ग विशेष के मूल कोटि के पदों पर ही की जा सकती है।

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रसंग में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियमावलियों के तहत संवर्ग के मूल कोटि के सीधी भर्त्ती से भरे जानेवाले पदों का एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रावधानित/आरक्षित किया गया है। अतः अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद सीमित किये जाने के कारण अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा के बावजूद सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण ससमय अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर, सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे ₹1800 (मैट्रिक उत्तीर्ण), ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹2000 (मैट्रिक से उच्चत्तर योग्यताधारी) के पद पर की जा सकेगी। अनुशंसा के अनुरूप पैतृक विभाग में (जहाँ मृत्यु के समय सरकारी सेवक पदस्थापित रहे हों।) ग्रेड पे ₹2000 का पद उपलब्ध नहीं हो, तो

नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर तथा ग्रेड पे ₹1900 का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ग्रेड पे ₹1800 के पदों पर उक्त पद हेतु विहित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी।

4. पैतृक विभाग में ग्रेड पे ₹2000, ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹1800 में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के स्तर से निर्गत परिपत्र सं0–2271 दिनांक–02.07.2007 में विहित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अपने विभाग/कार्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति संबंधित अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

5. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय भी लिए गये हैं :–

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र सं0–5958 दिनांक–25.04.2012 की कंडिका–'ख' तथा कंडिका–'घ' के प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

7. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक–22 / अनु0–02 / 2015 सा0प्र0...../
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

पटना–15, दिनांक.....जून, 2015

विषयः– **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में समाहरणालय, खगड़िया के पत्रांक–VI–05 / 2015 / 213 / स्था0, दिनांक–16.04.2015 के प्रसंग में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–5958 दिनांक–25.04.2012 की कंडिका–'ख' में अनुकम्पा समितियों द्वारा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा / नियुक्ति के पूर्व लिखित जाँच परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कृपया अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए इस हेतु सम्प्रति लागू परिपत्रों के प्रावधानों के आलोक में ही कार्रवाई किया जाय। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्गत सभी परिपत्रों का अवलोकन सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–22 / अनु0–02 / 2015 सा0प्र0 8089 / पटना–15, दिनांक 5 जून, 2015

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

संचिका संख्या–22 / अनु0–05 / 2014 सा0प्र0...../
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी।

पटना–15, दिनांक.....27 मई, 2015

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के प्रसंग में याचित मार्गदर्शन के संबंध में

प्रसंगः– समाहरणालय, बेगूसराय का पत्रांक–644 / स्था0, दिनांक–29.04.2015
समाहरणालय, छपरा का पत्रांक–103 (मु0) / स्था0, दिनांक–02.05.2015
समाहरणालय, छपरा का पत्रांक–100 (मु0) / स्था0, दिनांक–30.04.2015
समाहरणालय, मधुबनी का पत्रांक–699 / जि0स्था0, दिनांक–02.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के तहत याचित मार्गदर्शन निम्नानुसार देने का निदेश दिया गया है:–

(क) चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।	अनुकम्पा समितियों द्वारा चौकीदार अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है बल्कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समूह–'ग' अथवा समूह–'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी है। समूह 'घ' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–1866 दिनांक–04.02.2015 के तहत परिचारित किया जा चुका है।
(ख) सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के संतान के रूप में मात्र पुत्री होने तथा उसके परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति के जीवित नहीं रहने की स्थिति में शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।	मृत सरकारी कर्मी के संतान के रूप में मात्र शादीशुदा पुत्री होने की स्थिति में शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–16973 दिनांक–10.12.2014 की कंडिका–02 के आलोक में अनुकम्पा

	समितियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
(ग) समूह–'ग' के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान की क्षमता की जाँच करने के संबंध में।	अनुकम्पा समितियों द्वारा आश्रितों (आवेदकों) की शैक्षणिक योग्यतानुसार ग्रेड पे रू0 1800.00 अथवा ग्रड पे रू0 1900.00 के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा सिपाही अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है तथा अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान क्षमता की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं है।
(घ) सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की द्वितीय पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।	सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी द्वारा सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर द्वितीय विवाह करने के संबंध में सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से निर्गत परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 की कंडिका–4 के आलोक में अनुकम्पा समितियों द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की द्वितीय पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में समुचित निर्गय लिया जा सकता है।

नोटः– सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत सभी संकल्पों/परिपत्रों/अनुदेशों की प्रतियाँ इस विभाग के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0.....7722..../ पटना–15, दिनांक.....27 मई, 2015

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015

सरकार के अपर सचिव।

E/sec-22/May Draft

पत्रांक –22/अनु०– 05 /2012सा०प्र० 16973/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, भा0प्र0से0,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 10.12.2014

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक– 13293 दिनांक– 05.10.1991 की कंडिका (1)(ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है जिसमें मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहिता पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक– 512 दिनांक– 12.05.2005 के तहत कुछ शर्त्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए ज्ञापांक– 13293 दिनांक– 05.10.1991 को इस हद तक संशोधित किया गया है। पत्रांक– 7146 दिनांक– 31.10.08 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहिता छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। तदुपरान्त पत्रांक– 1699 दिनांक– 05.05.2010 द्वारा इस शर्त्त के साथ मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एकमात्र आश्रित हो।

2. विचार के क्रम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले भी दृष्टिगत हुए हैं जहाँ मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति के अतिरिक्त कोई नहीं होते हैं तथा संतान के रूप में मात्र पुत्री होने के कारण उसकी शादी हो चुकी होती है। ऐसी परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की देखभाल करने की जिम्मेदारी शादीशुदा पुत्री पर आ जाती है, परन्तु शादीशुदा पुत्री के नियोजन में नहीं रहने के कारण मृत सरकारी सेवक के आश्रित के सामने विषम आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्गत परिपत्रों के तहत आश्रितों की श्रेणी में नहीं रखा गया है जबकि अनुकम्पा नियुक्ति की नीति का मूल उद्देश्य ही सरकारी सेवक की सेवाकाल में हुई असामयिक मृत्यु के कारण उसके आश्रित/परिवार के समक्ष उत्पन्न भरण–पोषण की समस्या का निराकरण करना तथा तत्समय उत्पन्न आर्थिक तंगी से बचाना है। अतएव शादीशुदा पुत्री को भी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का आश्रित माने जाने का विषय सरकार के विचाराधीन था। इस संबंध में विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री को भी आश्रितों की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के आलोक में सम्यकरूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक– 13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1(ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव

10.1.14

संचिका संख्या–22 / अनु0–05 / 2014 सा0प्र0...../
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, वैशाली।
जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण, मोतिहारी।
जिला पदाधिकारी, सुपौल।
जिला पदाधिकारी, गया।

पटना–15, दिनांक.....नवम्बर, 2014

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के प्रसंग में याचित मार्गदर्शन।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी वैशाली का पत्रांक 646 दिनांक–30.07.2014 एवं पत्रांक 647 दिनांक–30.07.2014 .
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक 183 दिनांक–17.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक 1148–2 / स्था0, दिनांक–10.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक XXI–1 / 14–1378 दिनांक–06.08.2014 .

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के तहत याचित मार्गदर्शन निम्नानुसार देने का निदेश दिया गया है:–

जिज्ञासा	मार्गदर्शन
(क) मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के नियोजित रहने की स्थिति में अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं ?	सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत पत्रांक–1781 दिनांक–10.05.2010 के तहत परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6668 / 2003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7044 / 2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के gainfully नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। Gainfully नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण पोषण हो सके।
(ख) लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में।	लापता सरकारी सेवकों के अश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत की गई है।

(ग) अष्टम उत्तीर्ण महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सकती है अथवा नहीं ?	सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवको के आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 के आलोक में लिया जाना है।
(घ) नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा नेपाली नागरिक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में।	नेपाली नागरिक को सरकारी सेवा में नियुक्ति की अनुमान्यता नियुक्ति विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से निर्गत प्ररिपत्र संख्या 7312 दिनांक–30.05.1966 की कंडिका 03 के आलोक में की गई है। नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन नेपाल के संबंधित संस्थाओं से तथा नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की अनुमान्यता की सम्पुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त की जा सकती है।
(ड़) अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार / दफादार के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।	चौकीदार/दफादार का पद समूह 'घ' का पद है अतः उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2012 के आलोक में लिया जाना है। चूँकि, चौकीदार/दफादार का प्रशासी विभाग गृह (आरक्षी) विभाग है, अतः इस संबंध में मार्गदर्शन उक्त विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत सभी संकल्पों/परिपत्रों/अनुदेशों की प्रतियॉ इस विभाग के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(केशव कुमार सिंह,)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0 15783 / पटना–15, दिनांक 19.11.2014

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2014

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक 22/अनु0–04/2011 सा0–5951

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 25 अप्रील,2012

विषयः– सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकिया के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में पूर्व से कई विभागीय परिपत्र निर्गत हैं, जिनके कार्यान्वयन में हो रही कतिपय भ्रांतियों के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन निर्गत करने का निर्णय लिया गया है–

क. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में सभी कागजात/प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर उसे केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु 2 (दो) माह की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की बैठक, अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध रहने पर, प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी।

केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अनुशंसित उम्मिदवारों के प्रमाण–पत्रों की जाँच सहित अन्य औपचारिकताएँ पूरी कर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु अधिकतम एक वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय–सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए

प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी।

ख. अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रख कर किया जायेगा। मैट्रिक उत्तीर्ण आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1800/– के लिए की जाएगी और मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के लिए की जाएगी।

ग. केन्द्रीय /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अभ्यर्थी की जिस वर्ग/पद समूह के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसी अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित वर्ग/पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनके द्वारा मामले को सभी तथ्यों के साथ केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति को भेजते हुए दुबारा विचार करने का अनुरोध किया जा सकेगा। लेकिन केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा दुबारा विचार करने के बाद अनुशंसित वर्ग/पद समूह पर नियुक्ति किया जाना नियुक्ति प्राधिकार के लिए अनिवार्य होगा। समिति की अनुशंसा के प्रतिकूल नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सामान्यतः निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

घ. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के पैत्रिक विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किया जाएगा। अगर अनुशंसा ग्रेड पे 1900/– के पद समूह के लिए है तथा पैत्रिक विभाग में ग्रेड पे 1900/– का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ग्रेड पे 1800/– में नियुक्ति की जाएगी। पैत्रिक विभाग में ग्रेड पे 1900/– एवं ग्रेड पे 1800/– में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत परिपत्र सं0 2271 दिनांक 02.07.2007 (वर्ष 2010 का विभागीय परिपत्र संग्रह खंड–1 का पृष्ठ 81–82) में निर्धारित प्रकियानुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैत्रिक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा उक्त रिक्ति के विरूद्ध

मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।

2. अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में पूर्व से निर्गत सभी अनुदेश उक्त हद तक संशोधित माने जाएँगे।

3. कृपया उक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

Dubey 25/4/12

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

[1]

पत्रांक–3/आर०–1–178/2003 का०–4188

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव (सेवा प्रभाग)।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

पटना–15, दिनांक 25 अक्टूबर, 2010

विषय– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों मे से एक को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। इस संदर्भ में समय–समय पर इस विभाग द्वारा अनुदेश निर्गत किये गये हैं।

ऐसा पाया गया है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर विचार हेतु आवेदनपत्रादि प्रस्ताव के साथ संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा जो संचिकाएँ केन्द्रीय अनुकम्पा समिति को भेजी जाती हैं वे प्रायः अपूर्ण रहती हैं, जिसके कारण अनावश्यक रूप से मामले के निष्पादन में विलम्ब होता है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में एक जाँच–पत्र विहित की गयी है, ताकि संबंधित विभाग के स्तर पर ही समुचित जाँच हो सके। (जाँच–पत्र की प्रति संलग्न है)। अनुरोध है कि अब से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ भेजे जाने वाले मामलों के साथ उक्त विहित जाँच–पत्र भी समुचित एवं पूर्ण रूप से भरकर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

चेक स्लिप

स्व०..... के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/सुश्री/

श्रीमती.....की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

1. सरकारी सेवक का नाम/पदनाम (वेतनमान सहित) – .....
2. पदस्थापन का विभाग/कार्यालय – .....
3. नियुक्ति नियमित पद पर विधिवत तथा आरक्षण रोस्टर के अनुसार हुई थी या नहीं – .....
4. प्रदत्त सेवा की कुल अवधि – .....

5.	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	–	....
6.	मृत्यु की तिथि	–	........................(मृत्यु प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है, पृष्ठ........../प०)
7.	आश्रितों की सूची पूर्णतः अंकित है या नहीं	–	........................(पृष्ठ........../प० पर कंडिका–)
8.	आवेदक का नाम	–	........................(आवेदन पृष्ठ........../प०)
9.	मृत सरकारी सेवक से संबंध	–	....
10.	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	–	........................(पृष्ठ........../प०)
11.	आवेदक की जन्म तिथि	–	........................(प्रमाण–पत्र संलग्न, पृष्ठ........../प०)
12.	आय प्रमाण–पत्र	–	........................(प्रमाण–पत्र संलग्न, पृष्ठ........../प०)
13.	जाति प्रमाण–पत्र	–	........................(प्रमाण–पत्र संलग्न, पृष्ठ........../प०)
14.	समूह 'ग' एवं 'घ' में रिक्तियों की सूचना [स्पष्ट सूचना दी जाय]	–	........................(पृष्ठ........../प०)
15.	आवेदन पत्र खंड–2 की कंडिका 7 एवं 8 में सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं	–	........................(पृष्ठ........../प०)
16.	विधवा पत्नी का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	–	........................(पृष्ठ........../प०)
17.	अन्य आश्रितों का अनापत्ति संबंधी शपथ–पत्र (मूल प्रति में) है या नहीं	–	........................(पृष्ठ........../प०)
18.	यदि कोई आवेदक प्रथम संतान न होकर अन्य संतान है तो ज्येष्ठ संतान का अनियोजन प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं	–	........................(पृष्ठ........../प०)
19.	आश्रितों में से कोई सरकारी सेवा में या अन्यत्र नियोजित है या नहीं (पूर्ण विवरण दें)	–	........................(पृष्ठ........../प०)
20.	आवेदन–पत्र के दोनों खण्डों की सभी कंडिकाओं पर पूर्ण सूचना अंकित है या नहीं	–	........................हाँ/नहीं........................
21.	आवेदन करने की तिथि	–	........................(पृष्ठ........../प०)
22.	आवेदन समय सीमा के अन्दर है या नहीं	–	....
23.	आवेदक न्यूनतम एवं अधिकतम आयु–सीमा के अन्दर है या नहीं	–	....

24. प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सचिवालय/संलग्न कार्यालय में नियुक्त होकर कार्यरत थे।

संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर
[जाँच पत्र इनकी हस्तलिपि में भरा जायेगा]

पत्र संख्या–3 / सी.1–5015 / 97 1699 /

बिहार सरकार,

सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
संभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 05.05.2010

विषय :– तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनाक 05.10.1991 की कंडिका (1) (ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है। तदनुसार मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एव पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक–517 दिनांक 12.05.2005 के तहत कुछ शर्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए इस हद तक ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 को संशोधित किया गया। पत्रांक–7146 दिनांक 31.10.08 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामलों में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एव अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा । परन्तु तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को आश्रित की श्रेणी में माने जाने का निर्णय अभी तक नहीं हो सका था। इस संबंध में विधिक परामर्श लिया गया है जिसमे तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को भी मृत सरकारी सेवक के आश्रित की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

अतः विधिक परामर्श के आलोक मे सम्यक् विचारोपरात राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, बशर्ते कि तलाक / विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार मे विधवा पत्नी के अलावे वह एकमात्र आश्रित हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनाक 05.10.91 की कडिका–(1) (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

5/5/10

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

D:\Sec 3\Rawat lee\04-01-2010 Section-3.docx

पत्र संख्या–3/एम.–62/2008का. 10073/

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अर्हता की सशर्त्त छूट के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(2) (क) के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक को प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त रहना अपेक्षित है । समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति के लिए इस विभाग के पत्रांक 3577 दिनांक 25.04.97 तथा 7805 दिनांक 23.09.02 के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है । अतः अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति हेतु भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण रहना आवश्यक है ।

2. राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय–XII की कंडिका–22 के तहत निम्नांकित अनुशंसा की गई है :–

"22, For Compassionate appointments, the Government has prescribed minimum qualification of 8th class passed. As all Maha Dalits are illiterates, their dependents up to 80% are not getting employment on compassionate ground. They shall be given Provisional employment with a condition they should get themselves literate within five years."

3. राज्य महादलित आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌रूपेण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे । 'साक्षरता' से आशय है पढ़ने–लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें । साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं या प्राधिकृत पदाधिकारी से साक्षरता प्राप्त करने की जाँच कराकर संतुष्ट हो लेंगे । यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते हैं तो उनकी सेवा निर्धारित समय–सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

4. कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

D:\backup\Bihar Personal\Sec.\NRawat letter\C 148-07.doc

पत्र संख्या–3 / सी0–233 / 2007का.....7146 .... /

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी —— सेवकों के आश्रितों की समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया – अविवाहित सरकारी सेवकों तथा लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(1) (ग) एवं (घ) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है और तदनुसार मृत सरकारी सेवक के भाई, बहन या माँ को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं है । इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या–13668 / 2001 (दुर्गी देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 17.09.2007 को आदेश पारित किया गया है जिसका उद्धरण निम्नानुसार है :–

"Having considered the matter, I am of the view that compassionate appointment is not an appointment as a matter of right. The same is governed by rule and regulations. Petitioners do not dispute that the rules, regulations and the statutory circulars as they stand today, do not provide for compassionate appointment of the younger brother of a deceased but the submits that a contingency like this where a deceased person dies as a bachelor has never been contemplated. It is rightly submitted on behalf of the petitioners that such a contingency was not contemplated by the State. It is time they considered the said eventuality and provided for him otherwise the very purpose of compassionate appointment would stand defeated. There may be causes where a young employee not yet married but supporting his parents and younger and other members of the family suddenly dies if other dependants are not reckoned for compassionate appointment then the classification would lnot lbe full and complete and was liable to be challenged but as things stand tod..., no st..tu.. .. statutory directions gives a right to the younger brother of the deceased to be appointed on compassionate ground. There being no right, this court cannot issue a mandamus.

However, this court would like to request the State government to consider such cases and provide for them generally or, in such special cases, make provisions for departure from the normal rule so that such an unfortunate situation does not arise. If the State Government considering the situation thinks otherwise, it may still offer employment to the younger brother of the deceased employee." उक्त आदेश में दिये गये सुझावों पर विचार करने के बाद तदनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता समझी गई है।

2. इसी प्रकार इस विभाग के ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 तथा पत्रांक 4265 दिनांक 04.12.07 के तहत यह अनुदेश संसूचित किया गया था कि वर्त्तमान प्रावधानों के तहत लापता सरकारी सेवक के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है तथा लापता व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मृत समझे जाने के आलोक में उसके बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का औचित्य नहीं रह जाता है । समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

D:\Sec.3\VijaySewak\sarkari sewak Grade c & D (AnuKampa).doc

मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या–14014/6/94–इस्ट(डी.) दिनांक 09 10.98 के तहत भारत सरकार मे लागू अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी अनुदेश की कंडिका–11 के तहत लापता सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता, कुछ शर्तों के अधीन दी गई है । भारत सरकार मे लागू उक्त व्यवस्था पर विचारोपरांत उसे इस राज्य मे लागू करना अपेक्षित समझा गया है ।

3. अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये सुझावों तथा भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधान के आलोक मे, राज्य सरकार द्वारा सम्यक्रुपेण विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) यदि कोई सरकारी सेवक अविवाहित हो और उसके माता–पिता एवं भाई–बहन उसी पर आश्रित हों तथा सेवाकाल में ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय तो वैसी परिस्थिति मे उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जाएगा ।

(2) लापता सरकारी सेवकों के मामले में भी, निम्नांकित शर्तों के अधीन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता होगी :–

(क) सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि से दो वर्षों के बीत जाने के बाद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्ते कि :–

(i) पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो,

(ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो, और

(iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है ।

(ख) यह लाभ ऐसे सरकारी सेवकों के मामले मे अनुमान्य नहीं होगा :–

(i) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत्त होना है, या

(ii) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन मे शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो ।

(ग) अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह, रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी ।

(घ) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

(3) लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके द्वारा कर्त्तव्य की अवधि के लिए, भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

4. इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(1) (ग) एवं (घ) उपर्युक्त हद तक संशोधित समझी जायेगी, और ज्ञापांक–281 दिनांक 01.02.2006 एवं पत्रांक–4265 दिनांक–04.12.07 तदनुसार अवक्रमित समझे जायेंगे ।

विश्वासभाजन,

(ह०) 31/1/08

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव ।

D:\Sec.T\Vijay\Sewakal sarkari sewak Grade c & D (AnuKampa).doc

सत्यमेव जयते
अशोक कुमार चौधरी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
Tel : 0612-2223804
Fax: 0612-2222085

पत्र सं०–3/आर1–178/03–का० 2271

दिनांक 2 जुलाई, 2007

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों मे से एक को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। इस संदर्भ में समय–समय पर इस विभाग द्वारा अनुदेश निर्गत किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा तीन रिट याचिकाओं में दिनांक 07.12.94 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में निर्गत इस विभाग के पत्रांक 2822, दिनांक 27.04.95 की कंडिका 3 (ख) के अनुसार जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु, मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जानी है और रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को समिति द्वारा नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित किया जाना है। इस अनुदेश के अनुसार, रिक्ति की उपलब्धतानुसार, मृत्यु की तिथि की वरीयता के आधार पर, किसी कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति हेतु अनुशंसा दूसरे अन्य कार्यालय को भेजी जा सकती है। परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि मृत सरकारी सेवक के पैतृक विभाग में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अन्य विभाग, जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, को अनुशंसा भेजे जाने पर उक्त विभाग रिक्ति का अभाव दिखाकर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप संबंधित आश्रित को क्षोभ होता है और न्यायालय में वादों की संख्या भी बढ़ती है।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि जिन विभागों/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, उन विभागों/कार्यालयों के मृत कर्मी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्य विभाग/कार्यालय, जहाँ रिक्तियाँ हैं, को अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी, बशर्ते कि रिक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित नहीं हों। अधियाचित रिक्तियों से भिन्न रिक्तियाँ उपलब्ध रहने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने में टालमटोल करने वाले नियोक्ता/सक्षम पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
अशोक कुमार चौधरी

पत्रांक–3/सी0–62/2004 का0–937
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राम शोभित पासवान, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–23.06.05

विषयः–द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आये दिन मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी और उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार की अनुमान्यता के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से मार्गदर्शन की माँग की जाती रही है। इस विषय पर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 6201/03 में दिनांक 27.07.2004 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी यह निदेश दिया गया है कि इस विषय पर नीति निर्णय के रूप में एक अनुदेश निर्गत किया जाय।

2. उल्लेखनीय है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करना अवैध है, परन्तु मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी इजाजत देता है। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–23 में प्रावधान किया हुआ है कि ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित हो, किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा; परन्तु सरकार किसी सरकारी सेवक को दूसरा विवाह करने की अनुज्ञा दे सकेगी, यदि ऐसा विवाह ऐसे सरकारी सेवक और ऐसे विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन वैध हो और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है।

3. उपर्युक्त नियम से स्पष्ट है कि कोई सरकारी सेवक, चाहे उसे पर्सनल लॉ के अनुसार ऐसा करने की अनुमान्यता हो या न हो, बिना सरकार की पूर्व अनुज्ञा के, पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह या विवाह के लिए करार नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वह बिना सरकार की अनुज्ञा के विवाह करता है तो ऐसी पत्नी और उससे उत्पन्न संतान को संबंधित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं हो सकती है।

4. यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसा द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जाँच के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें।

विश्वासभाजन,
राम शोभित पासवान
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–3/अनु0 2–03/2004 का0–512
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आर0 एस0 पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–12.05.05

विषयः–दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.91 की कंडिका (1)(ग) के तहत यह अनुदेश दिया गया है कि दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा, आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा। इस आलोक में दत्तक पुत्र/पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं है।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 12814/2000 (परशुराम प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–07.05.2004 को पारित आदेश में कमल रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [1994 (2) पी०एल०जे०आर०, 536], मधुसूदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [1998 (1) पी०एल०जे०आर०, 482] तथा मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि० एवं अन्य बनाम उज्जवल कुमार राय एवं अन्य [1998 (1) पी०एल०जे०आर०, 769] वाले मामलों के आधार पर निदेश दिया गया है कि उक्त न्यायादेशों के आलोक में दत्तक पुत्र आश्रित की श्रेणी में आते हैं, अतः आवेदक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार किया जाय। इस आदेश के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिशानिदेश भी माँगा गया है।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्लू०जे०सी० नं० 7529/2004 (संजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–31.01.2005 को पारित आदेश [2005 (1) पी०एल०जे०आर०, 593] में कहा गया है कि "In law there is no distinction between the natural son and adopted son, particularly, in relation to a Hindu. Therefore, despite it having been provided in the law that adopted son will not be entitled to compassionate appointment, the Division Bench of this Court in the case of Kamal Ranjan Vs. The State of Bihar & Ors. reported in 1994 (2) PLJR, 536 has laid down that an adopted son being a son of a Hindu in terms of the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act, cannot be distinguished from a natural son for the purpose of grant of compassionate appointment." हिन्दू सक्शेसन ऐक्ट, 1956 तथा हिन्दू एडॉप्सन ऐंड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के अनुसार भी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के अलावे दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है।

4. उपर्युक्त न्याय–निर्णयों एवं तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दू सरकारी सेवकों के मामलों में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे, बशर्ते कि एडॉप्सन हिन्दू ऐंड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसा दावा विधिसम्मत हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,
आर० एस० पासवान
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र सं०–3/एम०–44/2004–3647

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राम शोभित पासवान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 30. 04. 2005

विषय :– कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में परिणत मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका 1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार का लाभ की अनुमान्यता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक उसे माना गया है जिसकी नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी हो। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्रांक 2967/स्था० दिनांक 19.12.2002 के तहत माँगे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में उपर्युक्त परिपत्रीय प्रावधानों के आलोक में इस विभाग के पत्रांक 2779 दिनांक 03.05.2003 के तहत उन्हें सूचित किया गया था कि कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मी उपर्युक्त परिपत्र की उक्त कंडिका के अनुसार सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः ऐसे कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दायर एल०पी०ए० नं०–897/2003 (दिलीप कुमार भट्टाचार्य बनाम राज्य एवं अन्य) और सात अन्य एल०पी०ए० में दिनांक 24.11.2004 को पारित समेकित आदेश में कहा गया है कि एक बार जब सरकार की नीति के तहत कार्यभारित स्थापना के कर्मी को नियमित कर दिया जाता है तो इस आधार पर कि उनकी नियुक्ति समायोजन द्वारा हुई है, उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थाई सेवा में प्रवेश के स्रोत के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अन्तर रखे जाने को विधि के विरुद्ध बतलाया है।

3. गत दिसम्बर–जनवरी में अराजपत्रित कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ समझौते के लिए बनी सहमति के बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या–14 के तहत कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्यकर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिये जाने का उल्लेख है। वित्त विभाग ने अपने पत्रांक 3ए–07–महा०– 01/2005 –1803/वि (2)

दिनांक 05.04.2005 के तहत अनुरोध किया है कि उपर्युक्त सहमति के विन्दु पर अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक रूपेण विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्यकर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2779 दिनांक 03.05.2003 को निर्गत की तिथि (03.05.2003) के प्रभाव से विलोपित समझा जाय। साथ ही अन्य सदृश्य मामलों में भी पूर्व में निर्गत मार्गदर्शनों को इसी प्रकार उनके निर्गत की तिथि के प्रभाव से विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

राम शोभित पासवान

सरकार के संयुक्त सचिव

[3]

पत्र संख्या-3/सी-2-60108/94 का० 10063

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० बी० प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1998

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-3974/1992, 12268/1992 एवं 12453/1993 में पारित आदेश दिनांक 7.12.1994 के अनुपालन के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं०-3/सी2-60108/94 का०-2822 दिनांक 27.4.1995 निर्गत किया गया था । उक्त पत्र की कंडिका-3, 4, 5 एवं 6 में स्पष्ट दिशानिर्देश सूचित किया गया है, जिसके अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर अनुकम्पा समिति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यथावत रहने की सूचना दी गयी थी (कंडिका-3)(ख) । केवल मात्र सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्णय लेने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया था ।

2. इधर यह देखा जा रहा है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के बाहर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले भी केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ भेज दिये जाते हैं। जबकि मामला कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंध नहीं रखता है एवं तदनुसार विभाग के निर्णय का संसूचन करने के चलते अनावश्यक विलम्ब होता है। कुछ मामलों में समय-सीमा क्षान्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में ऊपर उल्लिखित निर्गत विभागीय पत्र सं०-2822 दिनांक 27.4.95 की कंडिका-6 स्वत: स्पष्ट है। इस संबंध में अगर कोई विशेष सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो संबंधित विभाग (जिस विभाग के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के चलते मामला का शुरुआत हुआ है) कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई कर सकती है ।

3. अत: अनुरोध है कि मात्र सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों के मृत कार्यरत कर्मचारियों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के मामले ही केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विभागीय सचिव की स्पष्ट अनुशंसा के साथ सूचिका के माध्यम से भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० बी० प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

---

[4]

पत्र संख्या-3/सी2-60117/97-का० 8093

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 98

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया--अधिकतम उम्र की क्षान्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5.10.1991 द्वारा निर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की नयी प्रक्रिया की कंडिका-3 में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रावधान निरूपित किया गया है । उक्त प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम-54 परिशिष्ट-1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में प्रयोग करना नियमानुकूल नहीं है ।

2 - सरकार के समक्ष ऐसे कई मामले आये जब मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की आयु सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक होने के कारण उक्त आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है, फलत: उक्त मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

3 - सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के परिशिष्ट-1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में भी लागू समझा जाय, बशर्ते कि आवेदन समय-सीमा के अन्तर्गत दिया गया हो ।

4 - यह आदेश परिपत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० बी० प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

[12]

पत्र संख्या-3/सी 2-60108/94-का० 2822

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77, 11474 दिनांक 3-7-79, 6694 दिनांक 17-5-1980, 814 दिनांक 22-1-1981, 3211 दिनांक 12-1-84, 11946 दिनांक 30-11-84 तथा 13293 दिनांक 5-10-91 द्वारा निर्गत किये गये थे । इन परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के बाद भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावकारी नहीं हो सकी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/ 1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निदेश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिससे कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके ।

2 - ऊपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय ।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो ।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहाँ उक्त सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे । यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा ।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा । इस स्तर पर गठित समिति अंतिम रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार

पर वरीयतानुसार तैयार करेगी । तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी । यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी ।

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय-सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5-10-1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकृति एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय-सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी ।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार पर वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे । अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियाँ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी ।

3 - माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपुर्यक्त निर्देशों पर भलीभाँति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5-10-1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है । आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	अध्यक्ष ।
2- वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।	सदस्य ।
3- सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य ।
4- सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य ।
5- जिस विभाग का मामला हो उस विभाग के सचिव ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
6- अपर सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	सदस्य-सचिव ।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी । रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे ।

4- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी ।

5- मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे । उक्त विभाग आवेदन को भलीभाँति प्रारम्भिक जाँच कर ऊपर गठित संबंधित समिति के नोडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे ।

6- अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र समर्पित करने की समय-सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी ।

7 परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 5-10-1991 के प्रावधान उपर्युक्त रूप से संशोधित समझा जाय और अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/सी 2-60108/94-का० 2822 पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

प्रतिलिपि :- निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिव, विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

---

[29]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-3/सी2-2067/90 का० 13293 पटना-15, दिनांक 5 अक्तूबर, 1991

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

निदेशानुसार कहना है कि अब तक सेवा काल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को इस प्रकार सरल एवं प्रभावकारी बनाया जाय कि सरकारी सेवक के मृत्योपरान्त उसके आश्रित को बिना विलम्ब के वर्ग-3 के कतिपय पदों अथवा वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति मिल सके । इस उद्देश्य से सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) किनका चयन हो सकता है :

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ वैसे मृत सरकारी सेवक के एक ही आश्रित को अनुमान्य होगा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई है ।

(ख) इस हेतु सरकारी सेवक उसे ही माना जायेगा जिसकी नियुक्ति, स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई हो ।

(ग) सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है । आश्रित के अन्तर्गत केवल पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी सम्मिलित रहेगी । दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा ।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके आश्रित की नियुक्ति की जायेगी :-

(i) मृत सेवक की पत्नी ।

(ii) पुत्र ।

(iii) अविवाहित पुत्री ।

(iv) पुत्र की विधवा पत्नी ।

(ङ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा।

(च) यदि कोई महिला सरकारी सेवा में हो और उनके पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो तो महिला सरकारी सेवक की मृत्यु उपरान्त उनके पति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

(2) किनका चयन नहीं हो सकता है :-

निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि खंड "ख" और "ग" के संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ-पत्र नहीं दिया गया हो ।

(क) यदि आवेदक के प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं हो । परन्तु महिला के मामले में साईकिल चलाने की अर्हता को क्षांत समझा जायेगा ।

(ख) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराध के अपराधी के रूप में न्यूनतम 6 माह के कारावास का दण्ड हुआ है ।

(ग) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय ।

(3) आवेदन की समय - सीमा :-

आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं होगी । लेकिन नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

(4) आवेदन पत्र का समर्पण और संलग्न किये जाने वाले कागजात :-

आवेदन हेतु निम्नांकित कागजात उसी कार्यालय में जहाँ मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, दाखिल करने होंगे ।

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिसका नमूना अनुलग्नक -। में उपलब्ध है ।

(ख) आवेदन पत्र के खण्ड-2 में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक-1 में) ।

(ग) मृत्यु प्रमाण पत्र ।

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।

(ङ) आयु संबंधी प्रमाण पत्र ।

(च) जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए) ।

उपरोक्त (ग) से (घ) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियाँ एवं एक-एक फोटो स्टेट प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा । जहाँ पर मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा । वे ही अनुलग्नक -। (खंड-2) में विहित प्रपत्र के क्रमांक-7 को हस्ताक्षरित करेंगे ।

(5) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में अन्य निर्धारित प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने के एक माह में उस कार्यालय / विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

(6) आरक्षण नीति संबंधी निर्देश :-

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायेगा ।

(7) नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना :-

(क) जिस व्यक्ति की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जायेगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्तें अनिवार्य रूप से अभिलिखित की जायेगी :-

(i) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णत: उत्तरदायित्व होगा । नियुक्ति के समय नियुक्ति पदाधिकारी / कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा :

घोषणा-पत्र

मैं ..... पिता का नाम ....

पदनाम ..... पता ..... (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण करूँगी / करूँगा । मैं इस बात की भी घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर :- हस्ताक्षर -

नाम एवं पता :- नाम -

तिथि -

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय, एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए, बर्खास्त किया जा सकेगा ।

(ख) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकेंगे ।

(ग) नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा-पत्र लिये जाते हैं, यथा-दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा-पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगे ।

(8) किन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है :-

(क) अबतक के निर्देश के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-4 के अतिरिक्त वर्ग-3 के वैसे ही पदों पर नियुक्ति की जा सकती थी जिसपर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से नहीं होती हो ।

उपर्युक्त नियम को संशोधित करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है :

(i) वर्ग 4 के सभी पद । (ii) 1200-1800 तक के वेतनमान के वर्ग - 3 के सभी पद ।

(9) विशेष निदेश :-

(क) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुन: उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुये उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्त्तन नहीं किया जा सकेगा ।

(ख) इस परिपत्र का कोई लाभ अबतक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति को संवर्ग / पद परिवर्त्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायगी । नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य सरकारी सेवकों की

भाँति नियम के अनुसार पूर्व निर्धारित अवधि के लिये परीक्ष्यमान के तौर पर रखेंगे । तत्पश्चात उस पर, उसकी संपुष्टि हेतु, उक्त विभाग / संवर्ग के नियम ही पूर्णत: लागू होंगे ।

(घ) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता परिपत्र में नियुक्तियों पर जो रोक लगाई जाती है, वह अनुकम्पा के मामले में लागू नहीं समझी जायेगी ।

(ङ) सरकारी शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के संदर्भ में उपर्युक्त नियम पूर्णत: लागू होगा, केवल उनके प्रशिक्षण एवं उसमें सफल होने का प्रतिबन्ध संबंधी निदेश उनपर अतिरिक्त रूप में लागू माना जायगा । इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा उनके परिपत्र संख्या 839 दिनांक 25.6.90 में निदेश दिया गया है ।

(च) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो नियम उपबन्ध निर्धारित किये गये हैं उनको शिथिल करने अथवा उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति केवल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में निहित होगी ।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है तो पुन: शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती हो ।

(ज) सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति में अगर किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा ।

(10) इस परिपत्र के प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे । पूर्व में हुई मृत्यु के मामलों पर इस परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर विचार / पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा ।

(11) इस परिपत्र की प्रभाव-सीमा :- यह परिपत्र राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक उपक्रमों, स्वशासी निकायों, प्राधिकारों, निगमों, पर्षदों तथा राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर भी पूर्णरूप से लागू समझा जायगा ।

(12) नोट :- इस परिपत्र में अंकित "आवेदक" शब्द जहाँ-जहाँ भी दिये गये हैं उनका अर्थ, यथा आवश्यक, "आवेदक" अथवा "आवेदिका" समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- हेम नारायण कंठ
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-3/सी2-2067/90 का० 13293 पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर, 1991

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- हेम नारायण कंठ
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक - 1

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिये प्रपत्र

खण्ड - 1

1. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम -

   (ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे । -

   (ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण -

   (घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि -

   (ङ) स्थायी थे या अस्थायी -

2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम -

   (ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध -

   (ग) जन्म - तिथि -

   (घ) शैक्षणिक योग्यता -

   (ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है, यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें । -

   (च) विवाहित अथवा अविवाहित -

   (छ) विवाह की तिथि (तिथि स्मरण न हो तो माह एवं वर्ष) -

   (ज) यदि विवाहित हैं तो क्या विवाह में दहेज का लेन-देन हुआ था अथवा उसका आश्वासन हुआ था । -

3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित -

   (क) पारिवारिक पेंशन -

   (ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी -

   (ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि -

   (घ) जीवन बीमा पालिसी -

   (ङ) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय -

4. देन पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण (यदि हो तो) ।

5. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का पूर्ण विवरण -
(यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है तो उनका विवरण एवं उनकी आय) ।

क्रम संख्या एवं पदनाम	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध एवं आयु ।	सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूर्ण विवरण एवं कुल उपलब्धियाँ ।
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. आवेदक का पूरा स्थायी पता -
7. आवेदक का पूरा वर्त्तमान पता -
8. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, अथवा किसी मुकदमे में उसे सजा हुई है ?
यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें -

घोषणा-पत्र

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपुर्यक्त तथ्य पूर्णत: सही हैं । यदि उपर्युक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा पाया जायगा, तो मेरी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जा सकेगी । इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकेगी, जो उचित और अपेक्षित हो ।

दो निष्पक्ष गवाह का हस्ताक्षर, नाम एवं पता

(1) .....
(2) .....

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर एवं तारीख)
पूरा पता :-

खण्ड -2

1. (क) नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम -

   (ख) मृत सरकारी सेवक से उसका संबंध -

   (ग) शैक्षिणक योग्यता, उम्र (जन्म-तिथि) एवं अनुभव, यदि हो तो । -

   (घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है । -

   (ङ) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है ? -

   (च) क्या उम्मीदवार पद के लिये विहित अर्हता (उम्र संबंधी अर्हता सहित) धारण करता है -

   (छ) नियोजनालय की प्रक्रिया के शिथिलीकरण करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण भी अपेक्षित है ? यदि हाँ, तो विवरण दें -

2. क्या खण्ड - I में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय / विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच कर ली गई है ? -
3. क्या मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति, नियुक्ति की विहित प्रक्रिया का तथा आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए रोस्टर बिन्दु के अनुसार की गई थी ? -
4. क्या आवेदक विवाहित हैं ? यदि हाँ तो विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी ? -
5. क्या आवेदक की दो पत्नियाँ / पति जीवित हैं ? -
6. क्या आवेदक ने विवाह में दहेज लेने / देने का कार्य किया था अथवा उसका आश्वासन लिया / दिया था ? -
7. मृत सरकारी सेवक जहाँ अंतिम समय में कार्यरत थे, के कार्यालय प्रधान का पूर्ण हस्ताक्षर, तिथि एवं कार्यालय की मुहर -
8. नियंत्रण पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष (यदि वे कार्यालय-प्रधान से वरीय पदाधिकारी हों) की अनुशंसाएँ -

---

अनुलग्नक -2

विभागीय अनुकम्पा समिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत सदस्यों की सूची ।

क्र०सं०	विभाग का नाम	कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	वित्त विभाग के वरीयतम अपर सचिव/संयुक्त सचिव ।
2.	गृह विभाग	
3.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	
4.	राजभाषा विभाग	
5.	संसदीय कार्य विभाग	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
6.	वित्त विभाग	विभाग के वरीयतम अपर सचिव /
7.	योजना एवं विकास विभाग	संयुक्त सचिव ।
8.	ग्रामीण विकास विभाग	
9.	नगर विकास विभाग	
10.	कल्याण विभाग	ग्रामीण विकास विभाग के वरीयतम
11.	स्वास्थ्य विभाग	अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
12.	शिक्षा विभाग	
13.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	
14.	औद्योगिक विकास विभाग	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं
15.	ईख विभाग	परिवार कल्याण विभाग के
16.	खान एवं भूतत्व विभाग	वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
17.	वन एवं पर्यावरण विभाग	
18.	कृषि विभाग	मानव संसाधन विकास विभाग के
19.	सहकारिता विभाग	वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
20.	पशु एवं मत्स्य पालन विभाग	
21.	ऊर्जा विभाग	
22.	लघु सिंचाई विभाग	उद्योग विभाग के वरीयतम अपर
23.	सिंचाई विभाग	सचिव / संयुक्त सचिव ।
24.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	
25.	पथ निर्माण विभाग	

क्र०सं०	विभाग का नाम	कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य
26.	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	जल संसाधन विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
27.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	
28.	पर्यटन विभाग	
29.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
30.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
31.	साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	
32.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	
33.	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	
34.	विधि विभाग	खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
35.	भवन एवं आवास विभाग	
36.	युवा कार्यक्रम, खेल एवं संस्कृति विभाग	
37.	चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।	
38.	जल स्रोत एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	कल्याण विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
39.	परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग	
40.	20 सूत्री कार्यक्रम विभाग	
41.	लघु उद्योग विभाग	